राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 10] ग्यारहवीं विधान सभा के दसवें सत्र का पहला दिवस [संख्या : 1

सोमवार;

24 फरवरी, 2003

राजस्थान विधान सभा की बैठक 12.58 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री परसराम मदेरणा, अध्यक्ष, पदासीन)

राष्ट्रीय गीत

वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्।
सुजलाम् सुफलाम् मलयज शीतलाम्।
शस्य श्यामलाम् मातरम्। वन्दे मातरम्।
शुभ्र ज्योत्सना पुलकित यामिनी।
फुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभिनी।
सुहासिनी सुमधुर भाषिणी।
सुखदाम् वरदाम् मातरम्।
वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्।

सदन की मेज पर रखे गये पत्र

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की प्रति

श्री अध्यक्ष : सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। सचिव महोदय।

सचिव, राजस्थान विधान सभा : मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की प्रति सदन की मेज पर रखता हूं।

(अभिभाषण की प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

अनुमति प्राप्त विधेयक

मैं, उन विधेयकों का विवरण सदन की मेज पर रखता हूं जिन पर राष्ट्रपति महोदय अथवा राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है :

(अ) राष्ट्रपति महोदय द्वारा अनुमति प्राप्त विधेयक :

1. रीको औद्योगिक क्षेत्र (अप्राधिकृत विकास और अधिक्रमण का निवारण) विधेयक, 1999
2. राजस्थान सहकारी सोसायटी विधेयक, 2001

(ब) राज्यपाल महोदय द्वारा अनुमति प्राप्त विधेयक :

1. राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय विधेयक, 2002
2. कोटा खुला विश्वविद्यालय (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2002

(सचिव, राजस्थान विधान सभा)

3. राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2002
4. राजस्थान विनियोग (संख्या-5) विधेयक, 2002
5. राजस्थान विनियोग (संख्या-6) विधेयक, 2002
6. राजस्थान हथ सफाईकर्मी नियोजन और शुष्क शौचालय सन्निर्माण (प्रतिषेध) विधेयक, 2000

श्री अध्यक्ष : अध्यादेश। वित्त मंत्रीजी।

अध्यादेश

राजस्थान विक्रय कर (संशोधन) अध्यादेश, 2002

श्री प्रद्युम्न सिंह (वित्त मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विक्रय कर (संशोधन) अध्यादेश, 2002 (वर्ष 2002 का अध्यादेश संख्या-3) को सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री शैलेन्द्र जोशी, उच्च शिक्षा मंत्री।

राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी (नियुक्ति के लिये चयन) (संशोधन) अध्यादेश, 2002

श्री शैलेन्द्र जोशी (उच्च शिक्षा राज्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी (नियुक्ति के लिए चयन) (संशोधन) अध्यादेश, 2002 (वर्ष 2003 का अध्यादेश संख्या-1) को सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : शोकाभिव्यक्ति।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : अध्यक्ष महोदय, कुछ माननीय सदस्य नवनिर्वाचित होकर आए हैं, सदन के अन्दर उनका परिचय होना चाहिए। मंत्रिमण्डल में भी कुछ नये मंत्री बने हैं, उनका भी परिचय होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : शोकाभिव्यक्ति के अवसर पर नहीं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जो सदस्य चुनकर आये हैं, पहली बार राजस्थान विधान सभा में चुनकर आये हैं...

श्री अध्यक्ष : चुनकर आये हैं तो वह सभी को पता है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : विधिवत रूप से तो परिचय होना चाहिए, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : सदन के बिहाफ पर मैं उनका स्वागत कर चुका हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : विधिवत रूप से उनका परिचय होना चाहिए। तीन उप चुनाव के अन्दर भारतीय जनता पार्टी के जो सदस्य चुनकर आए हैं, उनका परिचय तो कराइये अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : शोकाभिव्यक्ति के अवसर पर नहीं, उसके बाद मैं आपको अवगत करा दूंगा। (व्यवधान) शोकाभिव्यक्ति। (व्यवधान) माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज।

श्री सांवर लाल (भिनाय) : अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य चुन कर आए हैं इसलिए आपत्ति है क्या आपको?

शोकाभिव्यक्ति एवं श्रद्धांजलि

श्री बलवन्त सिंह मेहता, स्वतंत्रता सेनानी एवं संविधान सभा सदस्य, श्रीयुत, श्रीपति मिश्र, पूर्व मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश, श्री बाबू भाई पटेल, पूर्व मुख्य मंत्री, गुजरात तथा पूर्व सदस्य सर्वश्री शांतिलाल खोईवाल, प्रभूराम गरासिया, श्रीमती मीना अग्रवाल, गोविन्द आमलिया, रामचन्द्र चौधरी, श्रीमती उषा प्रकाश, दौलतराम, दयाचन्द, महादेव प्रसाद बंका, शिवचरण दास, होतीलाल, गंगासिंह, तथा डा. कल्पना चावला, भारतीय मूल की वैज्ञानिक के निधन पर

श्री अध्यक्ष : शोकाभिव्यक्ति के इस अवसर पर मैं गत दिनों दिवंगत हुए स्वतंत्रता सेनानी एवं भारत की संविधान सभा के सदस्य श्री बलवन्त सिंह मेहता, श्रीयुत, श्रीपति मिश्र, पूर्व मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश, श्री बाबू भाई पटेल, पूर्व मुख्य मंत्री, गुजरात तथा इस विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री शांतिलाल खोईवाल, श्री प्रभूराम गरासिया, श्रीमती मीना अग्रवाल, श्री गोविन्द आमलिया, श्री रामचन्द्र चौधरी, श्रीमती उषा प्रकाश, श्री दौलतराम, श्री दयाचन्द, श्री महादेव प्रसाद बंका, श्री शिवचरण दास, श्री होतीलाल, श्री गंगासिंह, तथा भारतीय मूल की वैज्ञानिक डा. कल्पना चावला के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए यह शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

स्वतंत्रता सेनानी एवं भारत की संविधान सभा के सदस्य श्री बलवन्त सिंह मेहता का जन्म 8 फरवरी, 1900 को उदयपुर में हुआ। आपकी प्रारम्भिक शिक्षा भीलवाड़ा एवं उदयपुर में हुई। आपने फर्ग्यूसन कालेज, पूना से स्नातक की उपाधि प्राप्त की।

आप 15 वर्ष की आयु में ही स्वाधीनता आन्दोलन की गतिविधियों से जुड़ गये थे। आपने देशी रियासतों में जागृति लाने के लिए "प्रताप सभा" का गठन किया। वर्ष 1938 में आपने मेवाड़ प्रजा मण्डल की स्थापना की। श्री मेहता अगस्त, 1942 में महात्मा गांधी के आह्वान पर "भारत छोड़ो आन्दोलन" में शामिल हुए तथा डेढ़ वर्ष तक जेल में रहे। देश की आजादी एवं लोकतंत्र के लिए निरन्तर संघर्षशील रहे श्री मेहता ने सामन्तवाद, राजशाही तथा महाराणाओं के विरुद्ध सत्याग्रहों का नेतृत्व किया।

(श्री अध्यक्ष)

श्री मेहता ने भारतीय संविधान सभा में उदयपुर (मेवाड़) राज्य का प्रतिनिधित्व करते हुए राजस्थान के हितों को प्रमुखता देने के साथ ही राष्ट्रीय दृष्टिकोण अपनाते हुए भारतीय संविधान की रचना में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आप अंतरिम संसद के सदस्य भी रहे।

श्री मेहता राजस्थान में जयनारायण व्यास मंत्रिमण्डल में अप्रैल, 1951 से मार्च, 1952 तक वाणिज्य, उद्योग तथा खनिज विभाग के मंत्री रहे। गांधीवादी नेता श्री मेहता वर्ष 1952 में उदयपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से प्रथम लोक सभा के सांसद निर्वाचित हुए।

श्री मेहता ने राजनीति के साथ साथ प्रदेश के लोकजीवन को संस्कारमय बनाने के लिए भी महत्वपूर्ण कार्य किये। आप लोक कला मण्डल के संस्थापक, राजस्थान भूदान बोर्ड के संस्थापक सदस्य तथा भारत सेवक समाज, राजस्थान के अध्यक्ष रहे। आप अनेक सामाजिक संस्थाओं से आजीवन सम्बद्ध रहे। मानवीय मूल्यों, त्याग एवं समाज सेवा में अटूट आस्था रखने वाले श्री मेहता हिन्दी के प्रबल समर्थक थे। हिन्दी को देश की राजभाषा बनाने में आपका महत्वपूर्ण योगदान रहा।

श्री मेहता कलम के भी धनी थे। आपने कलकत्ता से प्रकाशित हिन्दी के प्रथम अखबार "यात्री-मित्र" का सम्पादन किया। मेवाड़ के बड़े आदमी, मेवाड़ दिग्दर्शन, प्रात:स्मरणीय प्रताप, राजपूताने का भूगोल आदि आपकी प्रमुख प्रकाशित पुस्तकें हैं।

वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी श्री बलवन्त सिंह मेहता का 31 जनवरी, 2003 को निधन हो गया।

उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्य मंत्री श्रीयुत श्रीपति मिश्र का जन्म 20 जनवरी, 1924 को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के शेशपुर ग्राम में हुआ। आपने एम.ए. एलएल.बी. की उपाधियां प्राप्त कीं।

श्री मिश्र सर्वप्रथम वर्ष 1962 में कांग्रेस के टिकट पर उत्तर प्रदेश विधान सभा के विधायक निर्वाचित हुए। आप तीन बार उत्तर प्रदेश विधान सभा तथा एक बार उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के सदस्य रहे। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप दो बार उत्तर प्रदेश सरकार में केबिनेट मंत्री तथा वर्ष 1967–68 में विधान सभा के उपाध्यक्ष और वर्ष 1980–82 में अध्यक्ष के पद पर आसीन रहे। आप जुलाई, 1982 से अगस्त, 1984 तक उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री रहे। आप आठवीं लोक सभा में भी कांग्रेस के सांसद रहे।

(श्री अध्यक्ष)

श्री मिश्र समाजवादी विचारधारा के प्रगतिशील नेता थे। आप संसदीय विषयों, नियमों और परम्पराओं के ज्ञाता और प्रभावशाली वक्ता थे। अपने सार्वजनिक जीवन में आप अनेक सामाजिक एवं शैक्षणिक संस्थाओं से सम्बद्ध रहे।

श्रीयुत श्रीपति मिश्र का दिनांक 7 दिसम्बर, 2002 को निधन हो गया।

स्वतंत्रता सेनानी और गुजरात के पूर्व मुख्य मंत्री श्री बाबू भाई जशभाई पटेल का जन्म 9 फरवरी, 1911 को गुजरात के खेड़ा जिले के नादियाड कस्बे में हुआ। आपने बी.ए., एलएल.बी. की उपाधियां प्राप्त कीं।

श्री पटेल अपने छात्र जीवन में ही स्वाधीनता आन्दोलन में शामिल हो गये थे। स्वतंत्रता आन्दोलन में सक्रिय रहते हुए आपने अनेक सत्याग्रहों में भाग लिया और कई बार जेल यात्राएं कीं।

श्री पटेल तीन बार बम्बई विधान सभा के सदस्य रहे। आप बम्बई राज्य के संसदीय सचिव, उप मंत्री तथा मंत्री भी रहे। श्री पटेल तीसरी और पांचवीं गुजरात विधान सभा के सदस्य भी रहे। पांचवीं विधान सभा में आप कांग्रेस (अर्स) के सदस्य रहे। तीसरी विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप गुजरात सरकार में दो बार केबिनेट मंत्री रहे। पांचवीं विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप जून, 1975 में गुजरात के मुख्य मंत्री बनाये गये। वर्ष 1977-80 में आप दूसरी बार गुजरात के मुख्य मंत्री के पद पर आसीन रहे। अपने राजनीतिक जीवन में आप अनेक समितियों के सभापति रहे। आप गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव तथा अध्यक्ष भी रहे।

श्री बाबूभाई पटेल का दिनांक 20 दिसम्बर, 2002 को निधन हो गया।

पूर्व विधायक श्री शांतिलाल खोईवाल का जन्म 14 अप्रैल, 1944 को चित्तौड़गढ़ जिले के घोसुण्डा ग्राम में हुआ। आपने अंग्रेजी विषय में एम.ए. की उपाधि प्राप्त की।

श्री खोईवाल नौवीं एवं दसवीं राजस्थान विधान सभा में राजसमन्द निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति और महिलाओं एवं बालकों के कल्याण सम्बन्धी समिति के सदस्य तथा गृह समिति के सभापति रहे। राजनीति में आने से पूर्व आप राजकीय सेवा में तहसीलदार, सहायक निदेशक, अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार तथा चीफ विजिलेंस आफिसर आदि पदों पर रहे।

(श्री अध्यक्ष)

श्री शांतिलाल खोईवाल का दिनांक 6 अक्टूबर, 2002 को निधन हो गया।

पूर्व विधायक श्री प्रभूराम गरासिया का जन्म 13 जून, 1956 को सिरोही जिले की पिण्डवाड़ा तहसील के ग्राम मोरस में हुआ। आपने कक्षा नौ तक शिक्षा प्राप्त की।

श्री प्रभूराम गरासिया नौवीं एवं दसवीं राजस्थान विधान सभा में पिण्डवाड़ा आबू निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे। विधान सभा में आप अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति के सदस्य रहे। आप लगभग दस वर्ष ग्राम पंचायत, मोरस के सरपंच भी रहे।

श्री प्रभूराम गरासिया का दिनांक 7 अक्टूबर, 2002 को निधन हो गया।

पूर्व विधायक श्रीमती मीना अग्रवाल का जन्म 8 मार्च, 1947 को बंगलादेश के चिलहाटी ग्राम में हुआ। आपने मैट्रिक तक शिक्षा प्राप्त की।

श्रीमती अग्रवाल दसवीं राजस्थान विधान सभा में अलवर निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की सदस्य रही। विधान सभा में आप महिलाओं एवं बालकों के कल्याण सम्बन्धी समिति की सदस्य रहीं। आप केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद्, नई दिल्ली की प्रान्तीय प्रतिनिधि तथा जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद, अलवर की सदस्य रहीं। अपने सार्वजनिक जीवन में आप अनेक सामाजिक एवं राजनीतिक संस्थाओं से सम्बद्ध रहीं। महिलाओं एवं बालकों के कल्याण हेतु प्रयत्नशील रही श्रीमती अग्रवाल की लेखन में भी रुचि रही।

श्रीमती मीना अग्रवाल का दिनांक 21 नवम्बर, 2002 को निधन हो गया।

पूर्व विधायक श्री गोविन्द आमलिया का जन्म 20 जून, 1940 को डूंगरपुर जिले के रास्तापाल ग्राम में हुआ। आपने एम.ए. की उपाधि प्राप्त की।

श्री आमलिया सातवीं विधान सभा में चौरासी निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस (आई) के विधायक रहे। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति के सदस्य रहे। वर्ष 1981 से 1983 तक आप राजस्थान सरकार में उप मंत्री रहे। राजनीति में आने से पूर्व आप राजकीय सेवा में लगभग पांच वर्ष सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी के पद पर रहे। आदिवासी विकास परिषद् के अध्यक्ष रहे श्री आमलिया आदिवासी समाज सुधार तथा शिक्षण संस्थाओं के विकास के लिए प्रयत्नशील रहे।

(श्री अध्यक्ष)

श्री गोविन्द आमलिया का दिनांक 21 दिसम्बर, 2002 को निधन हो गया।

राजस्थान के पूर्व मंत्री श्री रामचंद्र चौधरी का जन्म 21 जुलाई, 1912 को गंगानगर में हुआ। आपने बी.ए., एलएल.बी. की उपाधियां प्राप्त कीं।

श्री चौधरी पहली, दूसरी, पांचवीं और छठी राजस्थान विधान सभा में कांग्रेस के विधायक रहे। दूसरी तथा पांचवीं विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप राजस्थान सरकार में केबिनेट मंत्री रहे। वर्ष 1957 में आप कांग्रेस विधायक दल के सचिव रहे। वर्ष 1967 से 1972 तक आप राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष रहे। राजनीति में आने से पूर्व आप न्यायिक सेवा में रहते हुए लगभग 3 वर्ष जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर रहे। अपने सार्वजनिक जीवन में आप अनेक राजनीतिक एवं सामाजिक संस्थाओं से सम्बद्ध रहे। कृषि, शिक्षा और समाज सेवा में आपकी विशेष रुचि रही।

श्री रामचन्द्र चौधरी का दिनांक 6 फरवरी, 2003 को निधन हो गया।

पूर्व विधायक श्रीमती उषा प्रकाश का जन्म 21 जून, 1938 को अहमदाबाद में हुआ। आपने बी.ए. की उपाधि प्राप्त की।

श्रीमती उषा प्रकाश वर्ष 1972 में पांचवीं राजस्थान विधान सभा के लिए वैर निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस की विधायक निर्वाचित हुई। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप प्राक्कलन समिति तथा जन लेखा समिति की सदस्य रहीं। वर्ष 1958 में कांग्रेस पार्टी के सम्बद्ध हुई श्रीमती उषा प्रकाश लगभग तीन वर्ष तक कांग्रेस सेवा दल में अधिनायक रहीं। आप राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी तथा प्रदेश सेवा दल बोर्ड की सदस्य भी रहीं।

श्रीमती उषा प्रकाश का दिनांक 31 जनवरी, 2003 को निधन हो गया।

पूर्व विधायक श्री दौलतराम का जन्म 6 नवम्बर, 1939 को पाली जिले के ग्राम रानीकलां में हुआ। आपने मैट्रिक तक शिक्षा प्राप्त की।

श्री दौलतराम चौथी राजस्थान विधान सभा के लिए वर्ष 1967 में देसूरी निर्वाचन क्षेत्र से स्वतंत्र पार्टी के विधायक निर्वाचित हुए। अपने सार्वजनिक जीवन में आप अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उत्थान तथा सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए प्रयत्नशील रहे।

श्री दौलतराम का दिनांक 21 अक्टूबर, 2002 को निधन हो गया।

(श्री अध्यक्ष)

पूर्व विधायक श्री दयाचन्द का जन्म 29 दिसम्बर, 1924 को बारां जिले के फतहपुर ग्राम में हुआ। आपने मिडल तक शिक्षा प्राप्त की।

श्री दयाचन्द तीसरी राजस्थान विधान सभा के लिए वर्ष 1962 में हुए आम चुनावों में बारां निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनसंघ के विधायक निर्वाचित हुए। श्री दयाचन्द की जनहित कार्यों में विशेष रुचि थी। आप विधान सभा में अपने क्षेत्र के विकास के लिए निरन्तर प्रयत्नशील रहे।

श्री दयाचन्द का दिनांक 4 सितम्बर, 2002 को निधन हो गया।

पूर्व विधायक श्री महोदव प्रसाद बंका का जन्म 1 मार्च, 1922 को झुंझुनूं जिले के ग्राम बगड़ में हुआ। आपने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद प्रयाग विश्वविद्यालय से विशारद की उपाधि प्राप्त की।

श्री महादेव प्रसाद बंका पहली और दूसरी राजस्थान विधान सभा में खेतड़ी निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक रहे। अपने सार्वजनिक जीवन में आप नगर पालिका, बगड़, जिला बोर्ड, झुंझुनूं भूतपूर्व सैनिक संस्था, जिला झुंझुनूं के सदस्य दलित वर्ग संघ, झुंझुनूं के अध्यक्ष तथा राजस्थान प्रदेश दलित वर्ग संघ के उपाध्यक्ष रहे। आप अनेक सामाजिक संस्थाओं से भी सम्बद्ध रहे। हरिजन उत्थान और सैनिक कल्याण के लिए निरन्तर प्रयत्नशील रहे श्री महादेव प्रसाद की अध्ययन में भी विशेष रुचि रही।

श्री महादेव प्रसाद बंका का दिनांक 29 दिसम्बर, 2002 को निधन हो गया।

पूर्व विधायक श्री शिवचरण दास का जन्म 1912 में भीलवाड़ा जिले की माण्डल तहसील में हुआ। आपने मैट्रिक तक शिक्षा प्राप्त की।

श्री शिवचरण दास दूसरी राजस्थान विधान सभा के लिए वर्ष 1957 में माण्डल निर्वाचन क्षेत्र से राम राज्य परिषद् के विधायक निर्वाचित हुए। बाद में आपने भारतीय जनसंघ की सदस्यता ग्रहण की। विधान सभा में आप अपने क्षेत्र के विकास के लिए निरन्तर प्रयत्नशील रहे।

श्री शिवचरण दास का दिनांक 8 नवम्बर, 2002 को निधन हो गया।

पूर्व विधायक श्री होतीलाल का जन्म 3 दिसम्बर, 1923 को भरतपुर जिले की कुम्हेर तहसील के ग्राम इन्दू में हुआ। आपने एम.एस.जी. कालेज भरतपुर तथा आगरा कालेज से एम.ए., एलएल.बी. की उपाधियां प्राप्त कीं।

(श्री अध्यक्ष)

श्री होतीलाल दूसरी राजस्थान विधान सभा में भरतपुर निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय विधायक रहे। विधान सभा के कार्यकाल में आप जन लेखा समिति, गृह समिति तथा राजस्थान पशु मेला विधेयक, 1961 के सम्बन्ध में गठित प्रवर समिति के सदस्य रहे। आप भरतपुर किसान सभा के प्रधान मंत्री भी रहे।

श्री होतीलाल का दिनांक 1 फरवरी, 2003 को निधन हो गया।

पूर्व विधायक श्री गंगासिंह का जन्म 15 जनवरी, 1927 को नागौर जिले की जायल तहसील के ग्राम कसारी में हुआ। आपने बी.ए., एलएल.बी. की उपाधियां प्राप्त कीं।

श्री गंगासिंह वर्ष 1952 में प्रथम राजस्थान विधान सभा के लिए नागौर पूर्व निर्वाचन क्षेत्र से राम राज्य परिषद् के विधायक निर्वाचित हुए। आप वर्ष 1962 में तीसरी राजस्थान विधान सभा के लिए जायल निर्वाचन क्षेत्र से स्वतंत्र पार्टी के विधायक निर्वाचित हुए। आपकी समाज सेवा तथा जनहित कार्यों में विशेष रुचि रही।

श्री गंगासिंह का दिनांक 25 सितम्बर, 2002 को निधन हो गया।

भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री डा. कल्पना चावला का जन्म 1 जुलाई, 1961 को हरियाणा के करनाल कस्बे में हुआ। आपने पंजाब इंजीनियरिंग कालेज, चण्डीगढ़ से एयरोनाटिक इंजीनियरिंग में बी.ई. की उपाधि प्राप्त करने के बाद अमेरिका के टेक्सास यूनिवर्सिटी से एयरोस्पेस इंजीनियरिंग में एम.ई. की उपाधि तथा कोलोराडो यूनिवर्सिटी से पीएच.डी. की उपाधि प्राप्त की।

आप वर्ष 1988 में नासा (नेशनल एरोनोटिक्स एण्ड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन) से जुड़ी और शोध कार्य प्रारम्भ किया। आपने वर्ष 1993 में केलिफोर्निया की एक कम्पनी में वाइस प्रेसीडेंट और शोध वैज्ञानिक के रूप में काम किया। वर्ष 1994 में नासा ने आपका चयन अंतरिक्ष में जाने के लिए किया और वर्ष 1997 में आप भारतीय मूल की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनीं।

जनवरी, 2003 में अमरीकी अंतरिक्ष यान कोलम्बिया से छह अन्य वैज्ञानिकों के साथ आप एक वैज्ञानिक मिशन पर अंतरिक्ष में गई थीं। मिशन पूर्व करके लौटते समय अंतरिक्ष यान 1 फरवरी, 2003 को शाम 7 बजकर 46 मिनट पर टेक्सास प्रांत के केनेडी अंतरिक्ष केन्द्र पर उतरना था लेकिन इससे कुछ मिनट

(श्री अध्यक्ष)

पूर्व ही अंतरिक्ष यान का नियंत्रण कक्ष से सम्पर्क टूट गया और वह टुकड़े-टुकड़े हो गया। इस दुर्घटना में डा. कल्पना चावला सहित सभी वैज्ञानिकों की मृत्यु हो गई।

पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में डा. कल्पना चावला ने भारत का गौरव बढ़ाया है। उनका साहस सदा देशवासियों के लिए प्रेरणादायी रहेगा।

मैं दिवंगत व्यक्तियों को अपनी ओर से तथा इस सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे तथा उनके शोक संतप्त परिजनों को उनका बिछोह सहन करने की शक्ति दे।

माननीय सदस्यगण कृपया दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत व्यक्तियों की आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करें।

(तदनन्तर सदन ने दो मिनट मौन खड़े रह कर दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की)

सदन की बैठक मंगलवार, दिनांक 25 फरवरी, 2003 प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 13.23 बजे मंगलवार, दिनांक 25 फरवरी, 2003 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

परिशिष्ट-1

(महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण की प्रति)

माननीय सदस्यगण,

ग्यारहवीं विधान सभा के दसवें सत्र में आपको सम्बोधित करते हुए मुझे अत्यन्त प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है।

2. पिछले सत्र और इस सत्र के बीच हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती अकाल की रही है। सदी के भीषणतम अकाल की मार झेल रहे प्रदेश के 4 करोड़ 48 लाख लोगों और 4 करोड़ 52 लाख पशुधन को राहत पहुंचाने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी हमारे सामने है। सरकार ने इस जिम्मेदारी को समझते हुये पहली बार 16 अगस्त 2002 से अकाल राहत कार्य चालू किये। पेयजल और पशु संरक्षण उपायों को व्यापक बनाया गया है। इस कार्य में स्वैच्छिक, सामाजिक संगठनों, उदारमना नागरिकों ने भी अपनी जिम्मेदारी निभाई है।

3. आप सभी जानते हैं कि राज्य इस बार लगातार पांचवें वर्ष भयंकर सूखे की चपेट में है। इस बार सूखे की विभीषिका न केवल पिछले चार वर्षों से बल्कि वर्ष 1987-88 से भी कहीं अधिक गम्भीर है। पिछले 100 वर्षों में वर्ष 2002 के दौरान राज्य में सबसे कम वर्षा हुई है। इस कारण पेयजल, चारे व रोजगार की गम्भीर समस्या उत्पन्न हो गई है। इस वर्ष (सम्वत् 2059) राज्य के 32 जिलों के 40 हजार 990 गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया गया है। इन अभावग्रस्त गांवों की लगभग 4.48 करोड़ जनसंख्या एवं 4.52 करोड़ पशुधन सूखे से पीड़ित हैं।

4. स्थिति की गम्भीरता को देखते हुए राज्य सरकार ने अभावग्रस्त समस्त 32 जिलों में अगस्त, 2002 से ही राहत कार्य प्रारम्भ कर दिये। जनवरी 2003 में लगभग 55 लाख श्रमिकों को माह में 10 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया गया है। राहत कार्यों पर गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के भूमिहीन मजदूरों को नियोजित किये जाने को प्राथमिकता दी गई है। संसाधनों की कमी व नियोजन की अत्यधिक मांग को ध्यान में रखते हुए बेहतर अकाल

प्रबन्धन के लिए राहत कार्यों पर 10 दिन की पारी पर श्रमिकों को नियोजित किया जा रहा है। श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान पारी समाप्ति के 10 दिन के भीतर करना सुनिश्चित किया गया है। मजदूरी का 75 प्रतिशत भुगतान गेहूं तथा 25 प्रतिशत नकद के रूप में किया जा रहा है। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि राज्य सरकार के बेहतर अकाल प्रबन्धन में तीन बातें विशेष हैं, समय पर मजदूरी का भुगतान, 50 से 60 रुपये तक मजदूरी का औसत तथा भ्रष्टाचार की कोई बड़ी शिकायत नहीं, इन तीनों बातों की सराहना पूरे देश में हुई है।

5. राज्य में 4210 चारा डिपो स्वीकृत किये गये हैं। इन चारा डिपो के माध्यम से 15 जनवरी, 2003 तक 4.02 लाख मैट्रिक टन चारे का अनुदानित दरों पर वितरण किया गया। पशु शिविर एवं गौशालाओं के माध्यम से 6.48 लाख पशुओं को लाभान्वित किया जा रहा है। इस वर्ष चारा परिवहन, पशु शिविर एवं गौशाला अनुदान दरों में बढ़ोतरी की गयी है।

6. राज्य में 3798 टैंकरों से पेयजल परिवहन कर 3177 गांवों/ढाणियों की 17 लाख जनसंख्या को लाभान्वित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त रेल द्वारा भी परिवहन कर पेयजल व्यवस्था की जा रही है। इसी प्रकार 1100 नये ट्यूबवैल व 9000 नये हैण्ड पम्प भी लगाये गये हैं। राहत कार्यों में गैर सरकारी संस्थाओं, प्रवासी राजस्थानियों एवं निजी क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु राज्य सरकार विशेष प्रयास कर रही है।

7. बीमारी या अन्य कारण से राहत कार्यों पर काम नहीं कर सकने वाले संकटग्रस्त व्यक्तियों को मुफ्त अनाज उपलब्ध कराने हेतु प्रत्येक गांव में 2 क्विंटल, पंचायत मुख्यालय पर 5 क्विंटल एवं तहसील मुख्यालय पर 25 क्विंटल गेहूं रखा गया है। इसके अतिरिक्त 3.50 लाख असहाय, बीमार व अति कमजोर व्यक्ति चिन्हित किये गये हैं, जो राहत कार्यों पर काम नहीं कर सकते व बेसहारा हैं, उन्हें असहाय सहायता के अन्तर्गत 50 किलोग्राम गेहूं एवं 30 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह उपलब्ध कराने का इन्तजाम किया गया है। राज्य में गत दिसम्बर माह तक 4.01 लाख असहाय व्यक्तियों को 1.41 लाख क्विंटल गेहूं का वितरण किया गया है।

8. पोषाहार कार्यक्रम के तहत इस वर्ष प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र पर लाभान्वितों की संख्या 60 से बढ़ाकर 100 कर दी गई है और सूखे की गम्भीरता के कारण समस्त जनजाति ब्लाकों में इन लाभान्वितों की संख्या 100 से बढ़ाकर 150 की गई है। राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष वृहद् स्तर पर चलायी जा रही राहत गतिविधियों के प्रभावी संचालन हेतु 5 टास्क फोर्स एवं मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में एक निर्देशन समिति का गठन किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक जिले में एक-एक मंत्री एवं शासन सचिव को प्रभारी बनाया गया है। जिला व ब्लाक स्तरीय मध्यस्थता समितियां भी राहत गतिविधियों की समीक्षा करती हैं।

9. राज्य में कोई भी व्यक्ति भूखा न सोये, इसके लिए सरकार ने अपनी ओर से पुख्ता इन्तजाम किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में तहसीलदार, पटवारी, ग्राम सेवक, पंच तथा सरपंच को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वे यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक जरूरतमंद व्यक्ति को यथासमय अनाज उपलब्ध हो। प्रत्येक ग्राम स्तर पर एक कर्मचारी को इन व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी दी है। संकट की इस घड़ी में पीड़ितों के प्रति सरकार के साथ-साथ नागरिकों की जिम्मेदारी बनती है कि वे भी यथासमय स्थितियों से सरकार को अवगत कराएं और राज्य सरकार की भावना "सूचना आपकी जिम्मेदारी सरकार की" के अनुरूप अपनी जिम्मेदारी निभाएं।

10. राज्य में लगातार पांचवें वर्ष भी अकाल की स्थिति को ध्यान में रखते हुए राहत कार्यों के संचालन हेतु केन्द्र सरकार को 6 हजार 115 करोड़ रुपये की राशि आबंटित करने हेतु अंतरिम ज्ञापन माह अगस्त, 2002 में प्रस्तुत किया गया था। माह सितम्बर, 2002 में राज्य में अभाव की स्थिति का जायजा लेने आये केन्द्रीय अध्ययन दल को 7519.76 करोड़ रुपये का संशोधित ज्ञापन पूर्ण विवरण सहित प्रस्तुत किया गया। सम्वत् 2059 के राहत कार्यों पर मजदूरी के आंशिक भुगतान हेतु 56 लाख मैट्रिक टन गेहूं की आवश्यकता होगी। इसके लिये भारत सरकार को ज्ञापन देकर मांग की गई। राज्य में अकाल की स्थिति का पुन: आकलन करने हेतु

केन्द्रीय दल ने 13 से 16 जनवरी, 2003 तक राज्य का दौरा किया। अध्ययन दल को जनवरी, 2003 से जुलाई, 2003 तक के लिये 4160.67 करोड़ रुपये नकद व 42.25 लाख मैट्रिक टन गेहूं की मांग प्रस्तुत की गई।

11. भारत सरकार से राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक निधि के अन्तर्गत अब तक 11.66 करोड़ रुपये, गौशाला अनुदान एवं 155.68 करोड़ रुपये किसानों के लिये इनपुट सब्सिडी हेतु प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त भारत सरकार से 8.10 लाख मैट्रिक टन गेहूं भी प्राप्त हुआ है। माह जुलाई, 2003 तक 21 लाख मैट्रिक टन गेहूं के आबंटन का निर्णय भी केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 13 फरवरी, 2003 को लिया गया है। पशु आहार हेतु 30 हजार मैट्रिक टन गेहूं आबंटित किया गया था लेकिन 29 जनवरी, 2003 तक 2376.56 मैट्रिक टन गेहूं ही प्राप्त हुआ है।

12. गत चार वर्षों में राज्य सरकार ने आधारभूत ढांचे को विकसित करने के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किये हैं। चिकित्सा, शिक्षा, सड़क, सिंचाई और बिजली के साथ-साथ सामाजिक सुरक्षा का ताना-बाना सरकार की प्राथमिकता रही है। ऊर्जा क्षेत्र सुधार में उल्लेखनीय कार्य किये गये हैं। प्रदेश को पूर्ण साक्षर करने का हमारा संकल्प भी पूरा होता नजर आ रहा है।

13. बिजली विकास का प्रमुख आधार है। राज्य सरकार के ठोस प्रयासों के फलस्वरूप गत 4 वर्षों में राज्य का विद्युत उत्पादन 3356 मेगावाट से बढ़कर 4564 मेगावाट हो गया है। इस तरह, राज्य में पिछले 4 वर्षों में 1208 मेगावाट की अतिरिक्त विद्युत उत्पादन क्षमता अर्जित की गई है। वर्ष 2003-04 में 631 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता अर्जित करने का लक्ष्य है। इसके परिणामस्वरूप सरकार के 5 साल के कार्यकाल में विद्युत उत्पादन में 1839 मेगावाट की कुल बढ़ोतरी होगी, जो गत 50 वर्षों के कुल विद्युत उत्पादन का 50 प्रतिशत से भी अधिक है। सूरतगढ़ राज्य का पहला सुपर तापीय विद्युत गृह बन गया है। इस विद्युत गृह की पांचवीं इकाई से जून, 2003 में विद्युत उत्पादन प्रारम्भ हो जायेगा।

14. सूरतगढ़ तापीय विद्युत गृह को बिजली उत्पादन में उत्कृष्ट कार्य

करने पर भारत सरकार द्वारा वर्ष 2000-2001 और 2001-2002 में स्वर्ण पदक के लिए चुना गया है। वर्ष 2001-2002 में कम ईंधन प्रयोग करने पर नकद पुरस्कार के लिए भी चयन किया गया है। कोटा तापीय विद्युत गृह की 195 मेगावाट की छठी इकाई से अगस्त, 2003 में उत्पादन प्रारम्भ हो जायेगा। रामगढ़ गैस तापीय विद्युत गृह के द्वितीय चरण के अन्तर्गत 37.5 मेगावाट के गैस टरबाइन से 7 अगस्त, 2002 से विद्युत उत्पादन प्रारम्भ किया जा चुका है और 37.5 मेगावाट के स्टीम टरबाइन से मार्च, 2003 में विद्युत उत्पादन प्रारम्भ हो जायेगा। सूरतगढ़ तथा कोटा तापीय विद्युत गृह में लगातार 85 प्रतिशत से अधिक प्लांट लोड फैक्टर के चलते राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् द्वारा पुरस्कृत किया गया है।

15. राज्य में अकाल की विभीषिका से जूझ रहे किसानों को कृषि विद्युत कनेक्शनों के लिए अनेक रियायतें दी गई हैं। राज्य सरकार ने किसानों को रबी की फसल हेतु 6 घंटे बिजली मुहैया कराने के लिए 150 करोड़ रुपये की अतिरिक्त वित्तीय सहायता राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम को उपलब्ध कराई गई है।

16. बरसिंगसर लिग्नाइट तापीय खनन एवं विद्युत परियोजना के क्रियान्वयन हेतु मैसर्स नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार तथा राज्य सरकार के बीच 10 जून, 2002 को मेमोरेण्डम आफ अण्डरस्टेंडिंग के फलस्वरूप इस परियोजना की 2 गुणा 125 मेगावाट क्षमता की इकाइयों पर आगामी वर्ष में कार्य प्रारम्भ होने की आशा है।

17. राज्य में विद्युत की गुणवत्ता में सुधार एवं विद्युत तंत्र के विस्तार हेतु 220 के.वी. के 4 नये सब-स्टेशन पाली, भोपालगढ़, सवाईमाधोपुर एवं धौलपुर में स्थापित करने का कार्य प्रगति पर है तथा मार्च, 2003 तक इनको चालू कर दिया जायेगा। इसी प्रकार 132 के.वी. के 21 सब-स्टेशन तथा 33 के.वी. के लगभग 100 सब-स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य है, जिसके विपरीत 132 के.वी. के 4 तथा 33 के.वी. के 71 सब-स्टेशन स्थापित किये जा चुके हैं। इसके फलस्वरूप प्रसारण एवं वितरण की छीजत में पिछले 3 वर्षों में लगभग 4 प्रतिशत की कमी आई है। गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन बढ़ाने हेतु राज्य क्षेत्र में राजस्थान स्टेट माइंस एवं मिनरल लिमिटेड द्वारा 4.90 मेगावाट तथा

सुजलोन एनर्जी लिमिटेड द्वारा 5.25 मेगावाट क्षमता की पवन ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित की जाकर मई, 2002 एवं सितम्बर, 2002 तक विद्युत उत्पादन प्रारम्भ किया जा चुका है।

18. राज्य में वर्ष 1998 में विद्युत की मांग एवं आपूर्ति में 23.2 प्रतिशत का अन्तर था। यह अति हर्ष की बात है कि वर्ष 2003 में यह अन्तर मात्र 5.6 प्रतिशत रह गया है।

19. ऐसे गांव जहां बिजली उपलब्ध नहीं थी, में से 6 गांवों को इस वर्ष सोलर फोटो वोल्टाइक संयंत्र स्थापित कर विद्युतीकृत कर दिया गया है तथा 16 गांवों को मार्च तक विद्युतीकृत कर दिया जायेगा। वर्ष 2002-2003 में कृषि कार्य हेतु 15 हजार कुओं के विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा गया था, जिसके विपरीत दिसम्बर, 2002 तक 15 हजार 471 कुओं का ऊर्जीकरण कर लक्ष्य से अधिक उपलब्धि अर्जित की गई है।

20. राज्य सरकार ने वर्ष 2001-2002 में सड़कों की दशा सुधारने के लिए सड़क उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण की 600 करोड़ रुपये की परियोजना हाथ में ली, जिसके तहत 24 हजार किलोमीटर सड़कों का पुररुद्धार किया जा रहा है। इस वर्ष दिसम्बर, 2002 तक 330 करोड़ रुपये व्यय कर 13 हजार 600 किलोमीटर सड़कों का उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण किया जा चुका है और शेष कार्यों को जून, 2003 तक पूर्ण कर लिये जाने की आशा है।

21. राज्य में 2001 की जनगणना के अनुसार एक हजार से अधिक आबादी के सभी गांवों को 2003 तक एवं 500-1000 तक की आबादी के सभी गांवों को 2007 तक सभी मौसम में चलने वाली सड़कों से जोड़ा जाना है। दिसम्बर, 2002 तक लगभग 400 करोड़ रुपये की लागत से एक हजार से अधिक की आबादी के 1029 गांवों को सड़कों से जोड़ने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस स्वीकृति के पेटे जनवरी, 2003 तक 261 करोड़ रुपये व्यय कर 625 गांवों को सड़कों से जोड़ दिया गया है, इस हेतु 2 हजार 704 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया है। शेष 404 गांवों को सड़कों से जोड़ने का कार्य प्रगति पर है।

22. वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर एक हजार से अधिक आबादी के शेष एक हजार 609 गांवों को

सड़कों से जोड़ने के लिए 730 करोड़ रुपये की लागत की परियोजना बना कर मई, 2002 में भारत सरकार को प्रेषित की गई थी। हाल ही में इनमें से 160 करोड़ रुपये के प्रस्तावों की स्वीकृति प्राप्त हुई है। इस योजना को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है।

23. प्रदेश में केन्द्रीय निधि के अन्तर्गत राज्य उच्च मार्गों एवं मुख्य जिला सड़कों को चौड़ा करने, सदृढ़ करने व नवीनीकरण करने का कार्य किया जा रहा है। इस निधि के तहत दिसम्बर, 2002 तक 3 हजार 512 किलोमीटर सड़कों के लिए 255.17 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसके तहत एक हजार 779 किलोमीटर सड़कों को सुदृढ़ करने व नवीनीकरण का कार्य किया गया है। इसी प्रकार के 151 करोड़ रुपये के प्रस्ताव भारत सरकार को स्वीकृति हेतु भिजवाये हुए हैं। इन योजनाओं में भी राजस्थान देश में अग्रिम स्थान रखता है।

24. राज्य में बी.ओ.टी. परियोजनाओं के अन्तर्गत निजी निवेशकर्ताओं को आकर्षित करने के लिए ''राजस्थान सड़क विकास अधिनियम, 2002'' व नियम 2002 लागू किये गये हैं।

25. राज्य में राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड प्रदेश की कृषि उपज मण्डी समितियों के क्षेत्रों में ग्रामीण सड़कों व मण्डी निर्माण का कार्य मुख्य रूप से सम्पादित कर रहा है। पूर्व में निर्मित ग्रामीण सम्पर्क सड़कों के सुदृढ़ीकरण के लिए राज्य में ''सड़क सुदृढ़ीकरण परियोजना'' के अन्तर्गत बोर्ड को वर्ष 2001-2002 तथा वर्ष 2002-2003 के लिए 100-100 करोड़ रुपये के कार्य राज्य सरकार द्वारा आबंटित किये गये हैं।

26. वर्ष 2002-2003 में बोर्ड द्वारा कुल 150 करोड़ रुपये निर्माण कार्यों पर व्यय करने का लक्ष्य है, जिसके पेटे नवम्बर 2002 तक कुल 93.59 करोड़ रुपये व्यय किये जा चुके हैं। वर्ष 2002 के नवम्बर तक 3370 कि.मी. सड़कों पर पेवर द्वारा डामरीकरण का कार्य पूर्ण किया गया, जिसमें 106 कि.मी. लम्बाई की नयी सड़कों का निर्माण भी सम्मिलित है।

27. राज्य में सिंचाई क्षेत्र के विस्तार करने के उद्देश्य से वर्तमान में 4 वृहत, 4 माध्यम, 1 आधुनिकीकरण एवं 169 लघु सिंचाई परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। तीन नई मध्यम

परियोजनाओं का कार्य प्रारम्भ करने की प्रक्रिया प्रगति पर है। गत चार वर्षों में दो वृहत, तीन मध्यम एवं 66 लघु सिंचाई परियोजनाएं पूर्ण कर एक लाख 7 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित की गई है।

28. नर्मदा नहर सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत 24 कि.मी. कार्य पूर्ण किया जा चुका है और 27 कि.मी. लम्बाई में कार्य प्रगति पर है तथा 11 कि.मी. लम्बाई के कार्य की निविदा प्राप्त हो चुकी है। इसके जरिये जालौर एवं बाड़मेर जिले के 2.51 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना प्रस्तावित है तथा जालौर जिले के 100 गांवों एवं बाड़मेर जिले के 63 गांवों में पेयजल सुविधा भी उपलब्ध हो सकेगी।

29. गंगनहर आधुनिकीकरण की 446 करोड़ रुपये की परियोजना के तहत पंजाब राज्य में 98 कि.मी. में से 24 कि.मी. कार्य पूर्ण किया जा चुका है। शेष कार्य प्रगति पर है। राजस्थान में भी 73 कि.मी. मुख्य नहर में से 6 कि.मी. लम्बाई में कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा वितरिकाओं और माइनर्स की 1154 कि.मी. लम्बाई में से 257 कि.मी. का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। इस कार्य के फलस्वरूप 96 हजार 500 हैक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई जा सकेगी। प्रसन्नता की बात है कि 310 करोड़ रुपये की लागत की सिद्धमुख नोहर सिंचाई परियोजना का 12 जुलाई, 2002 को लोकार्पण किया जा चुका है। इसके माध्यम से 94 हजार हैक्टेयर भूमि में सिंचाई की सुविधा मिल गई है।

30. राज्य सरकार गंगा एवं उसकी सहायक नदियों के अधिकाय जल को राजस्थान में लाने के लिए शारदा–यमुना, राजस्थान–साबरमती लिंक नहर शीघ्र बनाने के लिए प्रयासरत है। इस विषय में केन्द्रीय सरकार को निरन्तर अनुरोध किया गया है। इस लिंक का सर्वे कार्य जारी है। इसके तहत गंगा की सहायक नदी शारदा से 370 कि.मी. लम्बी सम्पर्क नहर बनाकर पानी को यमुना नदी में डाला जाना प्रस्तावित है। इसके पश्चात् 502 कि.मी. यमुना–राजस्थान सम्पर्क नहर राजस्थान में बहेगी और इसके अन्तिम छोर से राजस्थान साबरमती लिंक निकलेगी, जो राजस्थान में 691 कि.मी. लम्बाई में बहेगी।

इस नहर से हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर एवं सिरोही जिलों की 7.79 लाख हैक्टेयर भूमि में सिंचाई सुविधा एवं पेयजल आपूर्ति हो सकेगी।

31. चालू वित्तीय वर्ष में 177.34 करोड़ रुपये की लागत की 92 लघु सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया है, जिनके पूर्ण होने पर 36 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। तीन नई मध्यम सिंचाई परियोजनाएं क्रमशः बूंदी जिले की गरडदा, सिरोही जिले की सूकड़ी सेलवाड़ा और जालौर जिले की बांदी सेदड़ा मध्यम सिंचाई परियोजनाएं जिनकी अनुमानित लागत, 161.33 करोड़ रुपये है, स्वीकृत की जाकर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है। इनसे 18 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।

32. केन्द्र सरकार के त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम की संशोधित मार्गदर्शिका के अनुसार आर्थिक सुधारों वाले राज्यों को 2:1 (केन्द्र:राज्य) के स्थान पर 4:1 के अनुपात में ऋण सहायता उपलब्ध करवाई जायेगी। सरकार ने इस सम्बन्ध में आवश्यक प्रयास कर राजस्थान को इस श्रेणी में सम्मिलित करवा लिया है। इससे वर्तमान में इस कार्यक्रम के तहत स्वीकृत 6 वृहत एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं पर अधिक केन्द्रीय ऋण सहायता प्राप्त हो सकेगी।

33. अपर यमुना मण्डल द्वारा 21 दिसम्बर, 2001 को राजस्थान के कुल यमुना जल का 3198 क्यूसेक जल भरतपुर, झुंझुनूं एवं चूरू क्षेत्र में उपयोग लेने हेतु परियोजनाओं को स्वीकृति देने के उपरान्त केन्द्रीय जल आयोग की तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इससे भरतपुर जिले के 407 गांवों की 1 लाख 80 हजार हैक्टेयर, झुंझुनूं जिले के 378 गांवों की 1 लाख 58 हजार हैक्टेयर तथा चूरू जिले के 35 गांवों में 37 हजार हैक्टेयर भूमि सिंचित हो सकेगी।

34. बीसलपुर बांध का कार्य पूर्ण हो चुका है। इससे 81 हजार 800 हैक्टेयर सिंचित क्षेत्र में से 12 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी है। टोरडी सागर के अन्तिम छोर के 4 हजार हैक्टेयर सिंचित क्षेत्र को बीसलपुर परियोजना के बायीं मुख्य नहर के

सिंचित क्षेत्र में शामिल किया जा चुका है। बायीं मुख्य नहर का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इस वर्ष रबी 2002 की फसल में बीसलपुर बांध की दायीं मुख्य नहर से 10 हजार 800 हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई करायी गयी है। सामुदायिक जलोत्थान योजना बनाने के लिए कारवाई की जा रही है।

35. घग्घर बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत इन्दिरा गांधी नहर पर इंटेक स्ट्रक्चर का निर्माण कार्य लगभग पूर्णता पर है। माही परियोजना के कुल 80 हजार हैक्टेयर सिंचित क्षेत्र में से 60 हजार 300 हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी है। द्वितीय चरण में आनन्दपुरी, जगपुरा व भूगंडा नहरों का निर्माण कर 22 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का कार्य प्रगति पर हैं। भीखाभाई सागवाड़ा नहर का कार्य भी प्रारम्भ हो चुका है।

36. प्रदेश में चम्बल के शेष रहे 2.4 एम.ए.एफ. जल के उपयोग हेतु एक मास्टर प्लान तैयार किया गया है। इसके अनुसार 3 वृहत, 10 मध्यम एवं 346 लघु परियोजनाएं चिन्हित की गई हैं। इनसे लगभग 2 लाख हैक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षेत्र बढ़ने की आशा है।

37. विश्व बैंक पोषित ''राजस्थान जल क्षेत्र पुनः संरचना परियोजना'' मई, 2002 से आरम्भ की जा चुकी है। इसके तहत ''जल प्रबन्धन कृषकों के द्वारा'' अभियान चलाकर सभी सम्बन्धित प्रणालियों पर 505 जल उपभोक्ता समितियों का चुनाव हो चुका है। इस परियोजना के अन्तर्गत 91 नहर प्रणालियों के पुनरुद्धार एवं आधुनिकीकरण का कार्य किया जायेगा, जिससे लगभग 1 लाख हैक्टेयर अतिरिक्त सिंचित क्षेत्र बढ़ेगा एवं अन्तिम छोर से कृषकों को नियमित पानी मिल सकेगा।

38. जल संग्रहण एवं भूजल पुनर्भरण हेतु जिला संग्रहण एवं सम्वर्द्धन कार्य योजना तैयार की गई है, जिसमें 2047.63 करोड़ रुपये की लागत के 47 हजार 698 कार्यों को चिन्हित कर सम्मिलित किया गया है। इनमें से 16 हजार 803 कार्य जिनकी लागत लगभग 367.97 करोड़ रुपये है, निर्मित करवाये जा चुके हैं। राजीव गांधी जल प्रबन्धन मिशन के तहत जल संसाधन के उपयोग से सम्बन्धित समस्त विभागों में परस्पर समन्वय द्वारा कार्य योजनाएं प्रस्तावित करने का कार्य प्रगति पर है।

39. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में सिंचाई सघनता की वृद्धि के लिए मार्च, 2002 तक 10.20 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में पक्के खालों का निर्माण किया गया था। वर्ष 2002–2003 के दौरान 27 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में कार्य प्रगति पर है।

40. बंजर भूमि विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 17 जिलों में 130.53 करोड़ रुपये की 31 परियोजनाएं केन्द्र सरकार से स्वीकृत कराकर राज्य के विभिन्न जिलों में क्रियान्वित की जा रही है। इसके तहत अब तक 2.43 लाख हैक्टेयर क्षेत्र बंजर भूमि में कार्य किया जा चुका है।

41. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण तथा चम्बल परियोजना में काश्तकारों द्वारा निर्मित कराये गये खालों की कीमत माफ करने के राज्य सरकार के निर्णय के क्रम में कृषकों को दिये गये ऋणों के विरुद्ध आठ वाणिज्यिक बैंकों को 1044 लाख रुपये का भुगतान किया जा चुका है। चालू वित्तीय वर्ष में 1245 लाख रुपये का भुगतान किये जाने का बजट प्रावधान उपलब्ध है।

42. राज्य सरकार ने पिछले 4 वर्षों में 6 हजार 807 अलाभान्वित गांवों एवं ढाणियों को तथा 33 हजार 445 आंशिक रूप से लाभान्वित गांवों एवं ढाणियों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाकर लाभान्वित किया है। पिछले 4 वर्षों में 4750 नलकूप एवं 51 हजार 265 हैण्ड पम्प स्थापित कर पेयजल उपलब्ध कराया गया, जिन पर 2340.75 करोड़ की धनराशि खर्च की गई है।

43. पिछले मानसून में कम वर्षा के कारण राज्य सरकार द्वारा सभी 32 जिलों की पेयजल समस्या का आकलन किया गया है, जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्र 68.39 करोड़ रुपये की एवं शहरी क्षेत्र में 115 नगरों के लिए लगभग 42.03 करोड़ रुपये की आपातकालीन योजनाएं स्वीकृत की गयी हैं। ग्रामीण क्षेत्र में 4 हजार 678 हैण्ड पम्प, 682 नलकूप, 505 कूपों पर सिंगल फेज सबमर्सीबल पम्पसैट एवं 124 इनलेट चैनल, फिल्टर प्लांट, रा–वाटर टेंक का पुनरुद्धार का कार्य किया जायेगा। आपातकालीन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्रत्येक जिला कलेक्टर को आवश्यक सामग्री के क्रय करने के लिए कार्यस्थल पर तत्काल खरीद हेतु 10 लाख रुपये तक व्यय के लिए अधिकृत किया गया है।

44. सभी राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशालाओं एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए भी राज्य सरकार ने पेयजल उपलब्ध करवाने का कार्य हाथ में लिया है।

45. राज्य सरकार द्वारा पेयजल समस्या के समाधान हेतु पारम्परिक जल स्रोतों के पुनरुद्धार का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत अब तक 32 हजार 453 कुएं एवं बावड़ियों के कार्य स्वीकृत किये गये, जिनमें से 18 हजार 701 कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि इस कार्यक्रम की राजस्थान द्वारा की गई पहल व प्राप्त परिणामों को देखकर भारत सरकार ने इसे पूरे देश में लागू किया है।

46. निरन्तर कम वर्षा और अकाल के कारण दूरदराज के क्षेत्रों में पेयजल की समस्या को हल करने हेतु रेल व सड़क मार्ग द्वारा जल परिवहन किया गया। वर्ष 2002 में दिसम्बर तक ट्रेनों द्वारा 128 ग्राम, ढाणियों तथा 7 शहरों में पेयजल पहुंचाया गया है। टैंकरों के माध्यम से 2 हजार 671 ग्राम, ढाणियों में न्यूनतम पेयजल आवश्यकता का समाधान किया गया।

47. भू-जल विभाग द्वारा इस वर्ष 2002 के दिसम्बर माह तक 1086 नलकूप, हैण्ड पम्प, पीजोमीटर एवं डी.सी.बी. का निर्माण किया गया। इसमें जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा बनाये गये 491 नलकूपों व 543 हैण्ड पम्पों तथा 4 डी.सी.बी. से राज्य के सुदूर अंचलों तक पेयजल सुविधा उपलब्ध हुई है। इस अवधि में अनुसूचित जाति व जनजाति के कृषकों के 2 हजार 992 कुओं को गहरा किया गया। इससे न केवल 2992 लघु कृषक परिवार लाभान्वित हुए अपितु लगभग 1197 हैक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा भी उपलब्ध हुई है।

48. नगरीय क्षेत्रों के योजनाबद्ध विकास और आम नागरिकों को बेहतर जन सुविधाएं उपलब्ध कराना राज्य सरकार की प्राथमिकता रही है। एक तरफ नियम एवं प्रक्रियाओं का सरलीकरण करते हुए कृषि भूमि पर बसी बस्तियों एवं कच्ची बस्तियों के नियमन का ठोस एवं दूरगामी निर्णय लिया गया है वहीं दूसरी ओर राज्य के 6 प्रमुख शहरों के समग्र विकास के लिये राजस्थान शहरी ढांचागत विकास परियोजना शुरू की गई है।

49. 15 अगस्त, 1998 तक बसी कच्ची बस्तियों के नियमन के निर्णय से 50 हजार 385 परिवारों को लाभान्वित किया गया है। नियमन की सीमा 50 से बढ़ाकर 300 वर्गगज की गई है। इसके अलावा 500 से 1500 वर्गगज क्षेत्र के भू उपयोग परिवर्तन के अधिकार पालिका, परिषद् एवं नगर निगम को दिये गये हैं।

50. राज्य सरकार द्वारा राज्य के 6 प्रमुख शहरों के सम्पूर्ण ढांचागत विकास के लिए एशियन विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित 1529 करोड़ रुपये की परियोजना स्वीकृत की गई थी। परियोजना की बचत से जयपुर शहर की पेयजल समस्या के दूरगामी समाधान के लिए 690 करोड़ रुपये की बीसलपुर जयपुर जलप्रदाय योजना को भी इस परियोजना के तहत लिया जा रहा है। पर्यटन एवं तीर्थ स्थल पुष्कर के विकास का कार्य, अजमेर शहर की योजना के साथ करने की स्वीकृति एशियन विकास बैंक से प्राप्त हो चुकी है। परियोजना के सभी 6 शहरों में आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं के भूलभूत विकास कार्य तथा पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण अन्य 4 स्थानों माउंट आबू, जैसलमेर, सवाईमाधोपुर एवं बूंदी में विकास कार्य करवाया जाना भी प्रस्तावित किया गया है।

51. मानवीय गरिमा को प्रतिष्ठापित करने के उद्देश्य से सिर पर मैला ढोने की कुप्रथा को दण्डनीय अपराध घोषित करने बाबत हाथ सफ़ाईकर्मी नियोजन और शुष्क शौचालय संनिर्माण प्रतिषेध अधिनियम 1 जनवरी, 2003 से प्रभावी हो गया है।

52. राजस्थान आवासन मण्डल ने माह दिसम्बर, 2002 तक एक लाख 64 हजार 91 आवास पूर्ण कर आबंटित कर दिये हैं। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा कृषि भूमि पर बनी आवासीय योजनाओं के नियमन का कार्य तेजी से किया जा रहा है और अधिकांश मामलों को जून, 2003 तक निस्तारित कर दिया जाएगा।

53. पर्यटन विकास के लिए जलमहल योजना जयपुर को विकसित करने का कार्य इस वित्तीय वर्ष में पूर्ण किया जाना सम्भावित है, जिसमें लगभग 22 करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है। घाट की गुणी में इंटरनेशनल राजधानी सेंटर को विकसित करने की योजना है, जिसकी अनुमानित लागत

70 करोड़ रुपये होगी। इसे बी.ओ.टी. आधार पर बनाया जाना प्रस्तावित है। कलाकार एवं दस्तकार नगर हेतु योजना इसी वर्ष में प्रारम्भ कराई जाना प्रस्तावित है। आमेर कस्बे की मुख्य सड़क का विकास, नाला निर्माण व मावठा सहित अन्य कार्य हाथ में लिए गये हैं, जिसमें लगभग 4 करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है।

54. नगर नियोजन विभाग द्वारा राज्य के सभी शहरों एवं कस्बों के मास्टर प्लान बनाने के कार्यक्रम के अन्तर्गत अब तक 49 शहरों/कस्बों के मास्टर प्लान राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित कर जनहित में लागू किये जा चुके हैं। वर्ष 2002-03 में राज्य के एक प्रमुख शहर बीकानेर एवं प्रतापगढ़ व डीडवाना कस्बों के मास्टर प्लान राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किये गये हैं।

55. राज्य सरकार परिवहन विभाग से सम्बन्धित सुविधाओं को संवेदनशीलता एवं जनभावनाओं के अनुरूप नागरिकों को उपलब्ध कराने के लिए प्रयासरत है। विभाग ने किन्हीं कारणों से वाहन कर जमा नहीं कराने तथा चालान कम्पाउंड नहीं कराने वाले वाहन स्वामियों के लिए एमनेस्टी योजना प्रारम्भ की है। इस योजना को गत वर्षों की अपेक्षा अधिक पारदर्शी, सरल एवं व्यावहारिक बनाकर वाहन स्वामियों की दिक्कतों को दूर किया गया है।

56. राज्य में पर्यटन विकास को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश की नगरपालिका सीमा में संविदा वाहन के अनुज्ञापत्र प्राप्त कर पर्यटकों के भ्रमण के लिए प्रयुक्त ऐसी डबल डेकर वाहनों, जिनका पंजीयन 6 जनवरी, 2003 से एक वर्ष की अवधि में होगा, को मोटर वाहन कर एवं विशेष पथ कर से वाहन की पंजीयन की तिथि से पांच वर्ष की अवधि के लिए मुक्त किया गया है।

57. राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में 600 नई बसें क्रय करने की कार्रवाई की जा रही है। निगम द्वारा राजीव गांधी साक्षरता मिशन के तहत "शिक्षा आपके द्वार" कार्यक्रम हेतु प्रदेश के सभी जिलों के लिए "चल विद्यालय वाहन" तैयार कर उपलब्ध करायें गये हैं।

58. राज्य में उद्योग लगाने के इच्छुक उद्यमियों को एक स्थान पर समस्त

सुविधाएं सुलभ कराने के लिए एकल खिड़की प्रणाली लागू की गई है। इसके लिए त्रिस्तरीय सर्वाधिकार प्राप्त समितियों का गठन किया गया है। इन समितियों की नवम्बर, 2002 तक 495 बैठकें आयोजित कर एक हजार 68 परियोजनाएं स्वीकृत की गई, जिनमें 5825.35 करोड़ रुपये का विनियोजन प्रस्तावित है।

59. ब्याज अनुदान योजना के तहत इस वर्ष नवम्बर, 2002 तक 31 लघु इकाइयों को 48.77 लाख रुपये का अनुदान स्वीकृत किया गया। प्रधानमंत्री रोजगार योजनान्तर्गत नवम्बर, 2002 तक बैंकों द्वारा 9580 युवाओं को ऋण स्वीकृत किया गया है। भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र की लम्बे समय से चल रही प्रदूषण समस्या के समाधान के लिए भिवाड़ी में "कौमन एफ्ल्यूएंट प्लांट" प्रारम्भ कर दिया गया है। रीको द्वारा निर्यात संवर्धन के उद्देश्य से द्वितीय औद्योगिक पार्क की स्थापना बोरानाडा, जोधपुर में की जा रही है।

60. राज्य के तीन जिलों–जयपुर में जैम्स एण्ड ज्वैलरी, जोधपुर में हैण्डीक्राफ्ट्स एवं बीकानेर में ऊन हेतु "स्पेशल इकोनोमिक जोन" स्थापित किये जा रहे हैं। स्टोन उद्योग के विकास हेतु जयपुर में 31 जनवरी से 4 फरवरी, 2003 तक द्वितीय "स्टोन मार्ट" का सफल आयोजन किया गया जिसमें इटली, चीन, जर्मनी, मिश्र, फ्रांस आदि प्रमुख देशों के अलावा देश भर से प्रतिष्ठित पत्थर व्यवसायियों ने भाग लिया।

61. बायो टैक्नोलाजी उद्योग की विपुल सम्भावनाओं को देखते हुए रीको द्वारा सीतारामपुरा, बोरानाडा एवं सोतानाला औद्योगिक क्षेत्र में बायो टैक्नोलाजी पार्क स्थापित करने की घोषणा की जा चुकी है। इसमें उद्योगों को आकर्षित करने के लिए प्रस्तावित भूमि आबंटन दरों में 60 प्रतिशत तक छूट दी जा रही है। कोटा में एग्रोफूड पार्क की स्थापना हेतु कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। भारत अन्तरराष्ट्रीय व्यापार मेला वर्ष 2002 में राजस्थान के मण्डप को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है।

62. रीको द्वारा उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक एवं राज्य सरकार के सहयोग से 16 करोड़ रुपये की लागत से स्थापित वेंचर कैपिटल फण्ड का शुभारम्भ 11 अक्टूबर, 2002 को किया जा चुका है। फण्ड द्वारा सूचना एवं प्रौद्योगिकी उद्योगों को आर्थिक सहायता दी जायेगी।

63. पर्यटन के क्षेत्र में राजस्थान का देश विदेश में विशिष्ट स्थान है। पर्यटन से न केवल विदेशी मुद्रा का अर्जन होता है अपितु यह रोजगार के अवसर प्रदान करने वाला प्रमुख क्षेत्र भी है। राजस्थान, जो लगातार अकाल की विभीषिका से जूझ रहा है, को पर्यटन ही ऐसा सम्बल है, जहां निवेश से ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि कार्यों में रोजगार का सृजन हो सकेगा तथा अकाल राहत का स्थाई प्रबन्ध तो होगा ही इसके साथ-साथ पर्यटन व्यवसाय में भी वृद्धि हो सकेगी।

64. राज्य सरकार ने पर्यटक को जन उद्योग बनाने के लक्ष्य को निश्चित दिशा देने हेतु राजीव गांधी पर्यटन विकास मिशन की स्थापना और पर्यटन नीति की घोषणा की है। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि इस वर्ष राजस्थान पर्यटन को उत्कृष्ट प्रदर्शन, प्रचार सामग्री, सर्वश्रेष्ठ पैवेलियन व प्रमोशन आफ हैरिटेज मोन्यूमेंट्स पर प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। पर्यटन विभाग द्वारा इस वर्ष दिसम्बर, 2002 तक 11 अन्तरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्तर के ख्याति प्राप्त पर्यटन मेलों का आयोजन किया गया है। इसके अतिरिक्त 11 प्रमुख प्रदर्शनी, सेमिनार व कांफ्रेंस में भी राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया गया है।

65. राजस्थान पहला ऐसा राज्य है, जिसने राजकीय प्रशासन में सूचना प्रौद्योगिकी की उपयोगिता व महत्व को अपने कार्य व व्यवहार में लागू किया है। राज्य में जयपुर जिले के रूपा की नांगल गांव में राष्ट्रीय स्तर के सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना निजी क्षेत्र की सहायता से करने के लिये राज्य सरकार ने निःशुल्क भूमि एवं 5 करोड़ रुपये प्रदान किये हैं। प्रवासी राजस्थानी उद्यमी द्वारा इस संस्थान की स्थापना का कार्य अगस्त, 2002 में आरम्भ किया गया।

66. राजस्थान में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिये राज्य सरकार ने निवेश करने वाले उद्यमियों को भूमि एवं भवन कर, सोफ्टवेयर/हार्डवेयर कर व अन्य कई करों में छूट प्रदान की है। राज्य सरकार की सेवाएं शहरी क्षेत्रों के नागरिकों तक पहुंचाने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जयपुर शहर में प्रयोग के तौर पर एक इंटीग्रेटेड सिटीजन सर्विस सेंटर ''लोकमित्र'' एवं उसके दो काउंटर स्थापित किये गये हैं।

67. ग्रामीण जनता को सरकारी सूचनाएं प्रदान करने के लिये झालावाड़ जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में राजकॉम्प द्वारा सफलतापूर्वक एक परियोजना "जन-मित्र" प्रारम्भ की गई है। इसी प्रकार के 20 अन्य कियोस्क स्थापित करने का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है।

68. प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को निर्धारित अवधि में अर्जित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा 19 नवम्बर, 2001 को शिक्षा आपके द्वार अभियान प्रारम्भ किया गया। अभियान के अन्तर्गत शिक्षा दर्पण के अद्यतन सर्वे के आधार पर 6 से 14 आयुवर्ग के 10.50 लाख बच्चे विद्यालयों से बाहर पाये गये थे, जिनमें से दिसम्बर, 2002 तक 9.24 लाख बालक बालिकाओं को विद्यालयों में नामांकित कर प्रारम्भिक शिक्षा प्रदान की जा रही है। अभी भी 1.26 लाख बच्चे विद्यालयों से बाहर हैं, जिन्हें वर्ष 2003 तक विद्यालयों में नामांकित कर शिक्षा देने की व्यवस्था की जायेगी।

69. राज्य में वर्तमान में 21 हजार 453 राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशालाएं संचालित हैं, जिनमें लगभग 11.50 लाख बालक-बालिकाएं शिक्षा ले रही हैं। इन राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशालाओं में लगभग 25 हजार शिक्षा सहयोगी कार्यरत हैं। वक्फ बोर्ड के माध्यम से एक हजार 619 मदरसों में राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशालाओं के समकक्ष शैक्षिक सुविधाएं एवं पैराटीचर्स स्वीकृत किये गये हैं। वर्ष 2002-03 में राजकीय क्षेत्र में शैक्षिक सुविधाओं के विस्तार में उल्लेखनीय कार्य किया गया है। एक हजार प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक स्तर में, 414 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक स्तर में तथा 386 माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक स्तर में क्रमोन्नत किया गया है। गैर राजकीय क्षेत्र में भी लगभग एक हजार 158 माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय क्रमोन्नत किये गये हैं।

70. राज्य के राजकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले कक्षा एक से 5 तक के समस्त बालकों तथा कक्षा एक से 8 तक की समस्त बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराई जा रही हैं। इस योजनान्तर्गत आलोच्य वर्ष में 24.50 करोड़ रुपये की

पाठ्य पुस्तकें लगभग 83 लाख विद्यार्थियों को उपलब्ध कराई गई। गत वर्ष विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय के कक्षा 11 एवं 12 के 624 उच्च माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए कम्प्यूटर शिक्षा लागू की गई। सत्र 2002-2003 में राज्य के शेष राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों के लिये कम्प्यूटर शिक्षा लागू करने का निर्णय लिया गया। यह कम्प्यूटर शिक्षा स्ववित्त पोषित आधार पर संचालित की जायेगी।

71. अल्पसंख्यकों के लिये विषय अध्यापन की समुचित व्यवस्था हेतु 200 पद वरिष्ठ उर्दू अध्यापकों के सृजित कर उन पर नियुक्तियां की गई। इसी के साथ वर्ष 2002-03 में उर्दू भाषा के 13, पंजाबी भाषा के 17, गुजराती भाषा के 5 एवं सिन्धी भाषा के 5 पद स्वीकृत किये गये। राज्य में मदरसा शिक्षा के विकास, आधुनिकीकरण, उन्नयन एवं परामर्श देने हेतु राज्य सरकार द्वारा राजस्थान मदरसा बोर्ड का गठन किया गया है।

72. करगिल क्षेत्र में शहीद हुये सैनिकों को सम्मान देने की दृष्टि से राज्य के 68 प्राथमिक विद्यालयों, 52 उच्च प्राथमिक विद्यालयों एवं 85 माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों का नामकरण शहीद सैनिकों के नाम पर किया गया है।

73. उच्च शिक्षा के क्षेत्र में क्षेत्रीय संतुलन के लिए बीकानेर एवं कोटा में सामान्य शिक्षा के नए विश्वविद्यालय प्रारम्भ किये जाने का निर्णय लिया गया है। क्षेत्रीय आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए 68 राजकीय महाविद्यालयों में प्रथम भाग की कक्षा में स्वीकृत स्थानों में वृद्धि कर विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने के अवसर दिये गये। शैक्षणिक सत्र 2002-2003 में अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को प्रवेश में 21 प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिया गया।

74. राज्य में तकनीकी शिक्षा के प्रसार हेतु निजी क्षेत्र की सहभागिता को प्रोत्साहित किया गया है। वर्ष 2002-2003 में 6 नये निजी अभियांत्रिकी महाविद्यालय स्थापित हुए। वर्तमान में 7 स्वायत्तशासी अभियांत्रिकी महाविद्यालय, जिसमें जयपुर में स्थित मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संस्थान (विश्वविद्यालयवत्) भी सम्मिलित है, राजकीय क्षेत्र में

एवं 23 अभियांत्रिकी महाविद्यालय निजी क्षेत्र में संचालित हो रहे हैं। इस प्रकार राज्य में संचालित 30 अभियांत्रिकी महाविद्यालयों में कुल प्रवेश क्षमता 7 हजार 684 छात्र प्रति वर्ष है। गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष कम्प्यूटर इंजीनियरिंग में 480, इंफोरमेशन टेक्नोलाजी में 330 तथा इलैक्ट्रोनिक्स एण्ड कम्यूनिकेशन में 300 प्रवेश स्थानों की वृद्धि हुई है।

75. सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में रोजगार के अवसरों को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 2002-2003 में दो नये एम.सी.ए. संस्थान निजी क्षेत्र में स्थापित हुए हैं। वर्तमान में कुल 15 एम.सी.ए. संस्थान संचालित हो रहे हैं, जिनमें प्रवेश क्षमता 890 छात्र प्रति वर्ष है। इसी प्रकार प्रबन्धकीय शिक्षा के प्रसार हेतु भी निजी क्षेत्र की सहभागिता को प्रोत्साहित करते हुए दो निजी प्रबन्ध संस्थान वर्ष 2002-2003 में स्थापित हुए हैं।

76. राज्य में वर्तमान में 24 पालीटेक्निक संस्थान संचालित हो रहे हैं, जिनमें से तीन निजी क्षेत्र में स्थापित हैं। वर्ष 2002-2003 में राजकीय संस्थानों में प्रवेश क्षमता में 190 स्थानों की वृद्धि की गई है। वर्ष 2002-2003 में राजकीय क्षेत्र में एक एवं निजी क्षेत्र में 6 नये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रारम्भ किये गये। वर्तमान में राज्य में कुल 107 राजकीय एवं 45 निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान संचालित हैं, जिनमें कुल प्रवेश क्षमता 13 हजार 184 है।

77. राज्य में जैव प्रौद्योगिकी गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु एक नीति तैयार की गई है। इस नीति के राज्य में क्रियान्वयन हेतु एक जैव प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग केन्द्र की स्थापना विज्ञान उद्यान, जयपुर में की जायेगी।

78. राज्य सरकार संस्कृत शिक्षा के उन्नयन के लिए सतत् प्रयासरत है। संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 2002-2003 में पौरोहित्य, व्याकरण, साहित्य, ज्योतिष के अध्यापन का कार्य शुरू कर दिया गया है। जन सहयोगकर्ताओं से अनुबन्ध के आधार पर राशि प्राप्त कर भवन निर्माण की स्वीकृति प्रदान की जा रही है। विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालय स्तर पर कम्प्यूटर शिक्षा को अनिवार्य किया गया है। वर्ष 2002-2003 में 10 प्रवेशिका विद्यालयों को वरिष्ठ उपाध्याय में,

10 उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालयों को प्रवेशिका विद्यालयों में तथा 50 प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक स्तर पर क्रमोन्नत किया गया है।

79. राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में नागरिकों को समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आधारभूत ढांचे का विकास एवं सदृढ़ीकरण किया गया है। राज्य में 276 मेडिकेयर रिलीफ सोसायटियों का पंजीकरण किया गया है। गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले 18.19 लाख परिवारों को निःशुल्क दवाइयां एवं इलाज सुविधा उपलब्ध कराकर लाभान्वित किया गया, इस पर 7 करोड़ 68 लाख रुपये खर्च किये गए हैं।

80. मुख्य मंत्री जीवन रक्षा कोष के अन्तर्गत 31 दिसम्बर, 2002 तक 2013 बी.पी.एल. कार्डधारक परिवारों के इलाज पर 10 करोड़ से अधिक की राशि खर्च की जाकर स्वास्थ्य लाभ दिया गया है। मुख्य मंत्री सहायता कोष के अन्तर्गत 3 हजार 557 व्यक्तियों को कुल 9 करोड़ 93 लाख रुपये की राशि चिकित्सा सहायता हेतु उपलब्ध कराई गई।

81. संशोधित राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत डोट्स प्रणाली से सम्पूर्ण राज्य की 5.65 करोड़ जनता लाभान्वित हो रही है। इस प्रणाली के अन्तर्गत क्षय रोगी की निःशुल्क जांच एवं उपचार सुविधाएं रोगी के घर–द्वार पर मुहैया कराई जाती है।

82. राज्य में खाद्य अपमिश्रण निवारण कार्यक्रम के तहत 26 जनवरी, 2003 के पश्चात् खुले खाद्य एवं पेय पदार्थों की बिक्री पर रोक लगाई गई है।

83. राज्य में राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के तहत अनुमानित रोगी 52 हजार 54 है, जिसमें से नवम्बर, 2002 तक 50 हजार 316 कुष्ठ रोगियों की खोज की जाकर उपचार किया है, जिसमें से 45 हजार 902 रोगियों को पूर्ण उपचार देकर रोग मुक्त किया गया है। राजस्थान में अन्धता नियंत्रण कार्यक्रम में सरकारी संस्थाओं के साथ–साथ गैर सरकारी संस्थाओं का भी सहयोग लिया जा रहा है तथा सभी मरीजों को दवाइयां, चश्मे, आपरेशन सुविधा निःशुल्क प्रदान की जा रही है। इस हेतु राज्य में 44 वार्ड एवं 44 आपरेशन थियेटर तथा 198 डार्क रूम का निर्माण कराया गया। परियोजना अवधि में 12 लाख 55 हजार 139 मोतियाबिन्द के आपरेशन किये गये।

84. आर्थिक दृष्टि से कमजोर एवं गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों की गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसव के लिए वाहन किराये पर लेने के लिए अनुदान हेतु 18 जिलों को 72 लाख रुपये आबंटित किये गये, जिसमें से दिसम्बर, 2002 तक 2 हजार 13 महिलाओं को लाभान्वित कर 7 लाख 54 हजार रुपये का व्यय किया गया। बच्चों में पोलियो रोग के उन्मूलन हेतु 0 से 5 वर्ष तक के लगभग 1.12 करोड़ बच्चों को 5 जनवरी एवं 9 फरवरी, 2003 को पोलियो की दवा पिलाई गई।

85. राजीव गांधी जनसंख्या मिशन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि जनसंख्या स्थिरीकरण की प्रक्रिया आरम्भ करने के लिए कुल प्रजनन दर 2.1 (बच्चे प्रति महिला) जो वर्ष 2016 में प्राप्त करने का लक्ष्य था, उसे अब वर्ष 2011 तक प्राप्त किया जायेगा।

86. राज्य में आयुर्वेद औषधियों की खेती को बढ़ावा देने के कार्य को प्रोत्साहित करने हेतु मेडिसिन प्लांट बोर्ड का गठन किया गया है। इसके माध्यम से किसानों को आयुर्वेद औषधियों के निर्माण में काम आने वाली वनस्पतियों की खेती करके अधिकतम लाभ प्राप्त करने की जानकारी देने के साथ-साथ उन्हें विशेषज्ञ राय भी उपलब्ध कराई जा रही है। जोधपुर में आयुर्वेद विश्वविद्यालय की स्थापना के उद्देश्य से गत विधान सभा सत्र में बिल पारित किया जा चुका है। साथ ही राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु 6 करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये एवं कुलपति का पदस्थापन किया जा चुका है।

87. आयुर्वेद विभाग में नर्स एवं कम्पाउण्डरों के रिक्त पदों में से 200 पदों पर नई नियुक्तियां चालू वर्ष में की गयी हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित 84 आशार्थियों को आयुर्वेद चिकित्सक के पदों पर नियुक्ति दी गयी है।

88. महिला एवं बच्चों के सर्वांगीण विकास की योजना के अन्तर्गत सकारात्मक परिणामों से राज्य में साक्षरता दर विशेष रूप से महिला साक्षरता दर बढ़ी है। स्कूलों में प्रवेश दर बढ़ी है। शिशु मृत्यु दर एवं बाल मृत्यु दर में कमी दर्ज की गई है। गत वर्षों में पोलियो के रोगियों में भी काफी कमी आई है। राज्य के 257 विकास खण्डों

में संचालित 35 हजार 626 आंगनबाड़ी केन्द्रों पर बच्चों एवं महिलाओं को पूरक पोषाहार, शाला पूर्व शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषाहार शिक्षा, स्वास्थ्य जांच आदि, सुविधाओं से इस वर्ष अब तक 30 लाख से अधिक बच्चों एवं महिलाओं को लाभान्वित किया जा चुका है।

89. राज्य में अकाल के दौरान चिन्हित अति संवेदनशील 74 खण्डों में संचालित बाल विकास परियोजना क्षेत्रों में वर्ष 2001 की जनगणनानुसार समग्र लक्षित समूह (सभी 0-6 वर्ष के बच्चे, गर्भवती एवं धात्री माता) को पूरक पोषाहार वितरण दिसम्बर, 2002 से प्रारम्भ किया गया है। इस व्यवस्था से 20.58 लाख अतिरिक्त बच्चों एवं माताओं को लाभान्वित किये जाने का अनुमान है। यह व्यवस्था 30 जून, 2003 तक प्रभावी रहेगी। इस अवधि में पूरक पोषाहार लाभान्वितों का लक्ष्य बढ़कर 56.29 लाख हो जायेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब महिलाओं के आर्थिक उत्थान के लिए चलाई जा रही स्वयं सहायता समूह योजना के तहत अब तक 48 हजार 858 समूहों का गठन किया जा चुका है।

90. शोषित एवं उत्पीड़ित महिलाओं को अविलम्ब राहत, आवश्यक सहायता एवं मार्ग-दर्शन प्रदान करने तथा शोषण के प्रकरणों का पुनरीक्षण कर शीघ्र कार्यवाई करने के उद्देश्य से समस्त जिलों में जिला स्तरीय महिला सहायता समिति गठित हैं। इन समितियों द्वारा 3 हजार 58 प्रकरणों का निस्तारण किया गया है। महिलाओं को तात्कालिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक जिले में सामाजिक सुरक्षा कोष भी स्थापित हैं।

91. राज्य सरकार निःशक्तजनों के कल्याण के प्रति संवेदनशील एवं प्रतिबद्ध है। राज्य सेवाओं तथा शैक्षिक संस्थाओं में 3 प्रतिशत स्थान निःशक्तजनों के लिए आरक्षित किये गये हैं। निःशक्त छात्र-छात्राओं को 12वीं कक्षा तक निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है। पोलियो करेक्शन के तहत लगभग 10 हजार आपरेशन किये गये हैं। राज्य में निःशक्तजनों को चल टेलिफोन बूथ उपलब्ध करवाये जा रहे हैं। इस वर्ष 672 निःशक्तजनों को 5 करोड़ रुपये से अधिक का ऋण उपलब्ध कराकर लाभान्वित किया गया है।

92. राज्य सरकार गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले समाज के कमजोर, पिछड़े तथा अल्पसंख्यक परिवारों के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के लिए कटिबद्ध है। सरकार ने राजस्थान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम व राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम में 27 करोड़ की राज्य गारंटी को बढ़ा कर 57 करोड़ रुपये कर दिया है। राज्य गारंटी को बढ़ाने का उद्देश्य अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक, अन्य पिछड़ा वर्ग, सफाईकर्मी एवं निःशक्तजन को आसान शर्तों पर अधिकाधिक ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराया जाना है।

93. राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम ने वर्ष 2002-2003 में राज्य के 11 जिलों में 76 व्यक्तियों को 25.53 लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृतियां जारी कीं। इसी प्रकार राजस्थान अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम द्वारा वर्ष 2002-2003 में राज्य के 17 जिले में 458 व्यक्तियों को 205.73 लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृतियां जारी की गयी हैं। साथ ही राष्ट्रीय निगम से अनुमोदन के बाद "न्यू स्वर्णिमा" योजनान्तर्गत राजस्थान की अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं को 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है।

94. समाज के कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों हेतु जर्मन सरकार के सहयोग से 10 आवासीय विद्यालयों का निर्माण कार्य हाथ में लिया गया है। इनमें से 3 विद्यालयों का निर्माण कार्य पूर्ण कराया जा चुका है तथा उनमें शिक्षण कार्य प्रारम्भ हो चुका है। शेष 7 विद्यालयों का निर्माण पूर्ण कराकर अध्ययन कार्य आगामी वर्ष में शुरू कराया जायेगा।

95. जनजाति विकास उप योजना के अन्तर्गत जनजाति के बालक-बालिकाओं को उत्तम गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करने की दृष्टि से कोटड़ा, कुशलगढ़, सलूम्बर, प्रतापगढ़, आबूरोड, शाहबाद एवं निवाई में आवासीय विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है। दो अन्य आवासीय विद्यालयों का संचालन भी शीघ्र प्रारम्भ किया जायेगा। इन 9 आवासीय विद्यालयों से कुल 3780 जनजाति के बालक-बालिकाएं लाभान्वित होंगे।

96. महाविद्यालयों में अध्ययन करने वाली जनजाति की छात्राओं के लिए

राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर एवं मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर में दो छात्रावासों का निर्माण किया जा रहा है। तीन और बालिका छात्रावास क्रमशः राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय, उदयपुर, राजकीय कन्या महाविद्यालय, बांसवाड़ा एवं स्वर्गीय भोगीलाल पण्ड्या राजकीय कन्या महाविद्यालय, डूंगरपुर में निर्मित किये जाने का प्रस्ताव है।

97. स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 2002-2003 में दिसम्बर, 2002 तक 11 हजार 312 स्वरोजगारियों को 33.50 करोड़ का ऋण एवं 10.29 करोड़ रुपये का अनुदान देकर लाभान्वित किया गया है। इस मद में 68.72 करोड़ रुपये की लागत की 10 विशेष परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं।

98. सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र के गरीब परिवारों को वर्ष 2002-2003 में 142.81 करोड़ रुपये का आबंटन निर्धारित किया गया था। सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत मजदूरी के आंशिक भुगतान के रूप में प्रति मजदूरी दिवस अधिकतम 10 किलोग्राम गेहूं दिया जा रहा है।

99. ग्रामीण क्षेत्र में गरीब परिवारों को आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से क्रियान्वित ग्रामीण आवास योजनाएं यथा इन्दिरा आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना (ग्रामीण आवास) तथा ऋण एवं अनुदान योजना के तहत दिसम्बर, 2002 तक 18 हजार 107 आवास निर्मित कराये गये हैं एवं गरीब परिवारों के 7 हजार 724 कच्चे एवं अर्द्धनिर्मित आवासों को क्रमोन्नत किया गया है।

100. डी.डी.पी./डी.पी.ए.पी. योजनाओं में भारत सरकार द्वारा वर्ष 1995-96 में आबंटित प्रथम चरण की 1017 जलग्रहण परियोजनाओं को पूर्ण कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त विभिन्न चरणों में डी.डी.पी. योजना में 1319 एवं डी.पी.ए.पी. योजना में 498 जलग्रहण परियोजनाएं चालू हैं। इन परियोजनाओं पर वर्ष 2002-2003 में दिसम्बर, 2002 तक डी.डी.पी. योजना 58.76 करोड़ रुपये एवं डी.डी.ए.पी. योजना में 13.45 करोड़ रुपये व्यय किये गये हैं।

101. "विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना" के तहत दिसम्बर, 2002 तक 80.49 करोड़ रुपये के व्यय

से आर्थिक, सामाजिक एवं आधारभूत सुविधाओं के 8 हजार 930 कार्य पूर्ण कराये गये हैं।

102. मेवात विकास कार्यक्रम के तहत वर्ष 2002–2003 में मेवात विकास बोर्ड के माध्यम से दिसम्बर, 2002 तक 2.86 करोड़ रुपये के व्यय से विभिन्न गतिविधियों के 77 कार्य पूर्ण कराये गये हैं।

103. राज्य की 206 पंचायत समितियों में गांधी ग्राम का चयन कर जलग्रहण विकास परियोजनाएं स्वीकृत की गयी हैं।

104. राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य के सभी राजकीय/अनुदानित विद्यालयों/पाठशालाओं/शिक्षा केन्द्रों में एक जुलाई, 2002 से कक्षा एक से 5 के विद्यार्थियों को पका हुआ भोजन (घूघरी आदि) वितरित किया जा रहा है। राज्य में 73 हजार 61 विद्यालयों में 71 लाख 17 हजार 718 बच्चों को प्रतिदिन मिड–डे–मिल योजना में पोषाहार उपलब्ध कराया जा रहा है। इस योजना में करीब 60 हजार जरूरतमन्द महिलाओं को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप में रोजगार मिल रहा है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2002–2003 में 89 करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है।

105. वर्ष 2002–2003 से मुख्य मंत्री रोजगार योजनान्तर्गत राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में स्थायी निवास करने वाले पात्र व्यक्ति को छोटी दुकान (कियोस्क) निर्माण हेतु व्यवसायिक आरक्षित/प्रचलित बाजार दर की 25 प्रतिशत दर पर भूमि आबंटित की जायेगी। इस हेतु वर्ष 2002–2003 में 25 हजार छोटी दुकान (कियोस्क) बनाने का लक्ष्य रखा गया है।

106. इस वर्ष में द्वितीय राज्य वित्त आयोग के अवार्ड के तहत पंचायती राज संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु 9386 लाख 67 हजार रुपये व ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में 9818 लाख 96 हजार रुपये का वित्तीय प्रावधान किया गया है।

107. योजना आयोग द्वारा 10वीं पंचवर्षीय योजना में अधिक पिछड़े जिलों बांसवाड़ा व डूंगरपुर में विकास एवं सुधार सुविधाओं के अन्तर्गत "राष्ट्रीय सम विकास योजना" वर्ष 2002–2003 से प्रारम्भ की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य इन क्षेत्रों में समृद्धि लाना तथा विकास की बाधाओं को दूर करना है, जिसके लिए प्रतिवर्ष 15 करोड़ रुपये तीन वर्षों के लिए उपलब्ध करवाए जाएंगें।

108. खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा अन्त्योदय अन्न योजना के तहत बी.पी.एल. परिवारों में से निर्धनतम 3 लाख 72 हजार 600 परिवारों का चयन किया जाकर 35 किलोग्राम प्रतिमाह प्रति परिवार खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना में गेहूं की दर 2 रुपये प्रति किलोग्राम व चावल की दर 3 रुपये प्रति किलोग्राम है। वर्ष 2002-2003 में नवम्बर, 2002 तक 98 हजार 93 मैट्रिक टन गेहूं का वितरण इस योजना के अन्तर्गत किया गया है।

109. अन्नपूर्णा योजना के तहत निराश्रित वृद्ध व्यक्ति, जिनकी उम्र 65 वर्ष या उससे अधिक है एवं जिनको केन्द्र व राज्य सरकार दोनों से कोई भी वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिल रही है, को 10 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति माह निःशुल्क गेहूं वितरित किया जाता है। वर्तमान में 1 लाख 5 हजार 293 व्यक्तियों को इस योजना का लाभ दिया जा रहा है।

110. ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने हेतु खाद्यान्न बैंक योजना 26 फरवरी, 2002 को प्रारम्भ की गई थी। इस योजना के अन्तर्गत 230 खाद्यान्न बैंक स्थापित किये जा चुके हैं, जिनमें कोरपस के रूप में 20 क्विंटल गेहूं प्रति बैंक एक-बारीय दिये जाने का प्रावधान है। वर्ष 2001-2002 में इस योजना पर 13 लाख 43 हजार रुपये व्यय किये गये।

111. राजस्थान की अर्थ व्यवस्था का मूल आधार कृषि है। राज्य की जनसंख्या का लगभग तीन चौथाई भाग अपनी आजीविका के लिए कृषि एवं सम्बद्ध कार्यों पर निर्भर है। राज्य में कृषि मुख्यतः वर्षा पर निर्भर है। किसानों को प्रायः अकाल एवं सूखे से जूझना पड़ता है। इस वर्ष राज्य भयंकर सूखे एवं अकाल की चपेट में है।

112. अकाल की विभीषिका के कारण इस वर्ष 63.54 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में ही बुवाई की जा सकी तथा खरीफ़ खाद्यान्नों का उत्पादन भी वर्ष 2002-2003 में 9.38 लाख टन ही रहने की सम्भावना है। राज्य में इस वर्ष चारा उत्पादन को प्रोत्साहित करने हेतु खरीफ एवं रबी मौसम में क्रमशः 1.61 लाख व 2.91 लाख कृषकों को निःशुल्क बीज़ उपलब्ध कराया गया है। राजीव गांधी कृषक साथी योजना के तहत इस वित्तीय वर्ष में

दिसम्बर, 2002 तक 1427 व्यक्तियों को 259.27 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी गई है।

113. राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पशुपालन की महत्वपूर्ण भूमिका है। राज्य में 5 करोड़ 44 लाख पशुधन तथा 44 लाख कुक्कुट सम्पदा है। इस सम्पदा के संरक्षण हेतु इस वर्ष विभिन्न बीमारियों की रोकथाम हेतु 30 लाख 59 हजार पशुओं का टीकाकरण, 50 लाख 38 हजार पशुओं का उपचार, सवा चार लाख पशुओं का बधियाकरण एवं कृत्रिम गर्भाधान किया गया। राज्य में टीका उत्पादन प्रयोगशाला में 60 लाख 42 हजार टीकों का उत्पादन किया गया।

114. इसके अलावा भेड़ विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 75 लाख 52 हजार भेड़ों को कृमिनाशक दवाई पिलाई गई। राज्य सरकार ने इस वर्ष निजी क्षेत्र में एक पशु विज्ञान महाविद्यालय, जयपुर में स्थापित किये जाने हेतु सोसायटी फार एडवांस्ड स्टडीज एण्ड सोशल अपलिफ्टमेंट, भोपाल को अनापत्ति पत्र जारी किया है। इससे पूर्व दो संस्थाओं को निजी क्षेत्र में पशु विज्ञान महाविद्यालय स्थापित करने के लिए अनापत्ति पत्र जारी किये गये, इनमें से एक संस्था द्वारा भवन निर्माण कराया जा रहा है, जहां शीघ्र महाविद्यालय शुरू हो जायेगा।

115. राज्य में डेयरी विकास कार्यक्रम सहकारिता के आधार पर चलाया जा रहा है। राज्य में 16 जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ 6 हजार 706 ग्राम स्तरीय सहकारी दुग्ध समितियों के माध्यम से कार्य कर रहे हैं। जिला दुग्ध संघों की दुग्ध विधायन क्षमता 9 लाख लीटर से बढ़ाकर 13.45 लाख लीटर एवं पशु आहार उत्पादन क्षमता को 400 मै. टन से बढ़ाकर 600 मै. टन कर दिया गया है। मार्च, 2003 में इस क्षमता को बढ़ाकर 800 मै. टन किया जा रहा है।

116. राज्य में नवम्बर, 2002 तक संघों के माध्यम से प्रतिदिन औसतन 11.53 लाख किलो दुग्ध का संकलन एवं औसतन 7.40 लाख लीटर दुग्ध का विपणन किया गया है। राज्य से बाहर भी प्रतिदिन औसतन 4.57 लाख लीटर दुग्ध का विपणन किया गया है। वर्तमान में राज्य में 4.80 लाख से भी अधिक दुग्ध उत्पादक सहकारिता के आधार पर अपने दूध का उचित मूल्य प्राप्त कर रहे हैं। सन् 2004

तक फैडरेशन के औसतन दुग्ध संकलन को बढ़ाकर 20 लाख एवं सन् 2010 तक 40 लाख किलो प्रतिदिन तक पहुंचाने की कार्य योजना है।

117. राजस्थान जैसे मरुक्षेत्र में वनों का बड़ा महत्व है। इस दृष्टि से स्थानीय लोगों को वनों की सुरक्षा से जोड़ने के उद्देश्य से "साझा वन प्रबन्ध कार्यक्रम" के अन्तर्गत राज्य में "ग्राम स्तरीय वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समितियों" के गठन को व्यापक गति दी जा रही है। अब तक 3 हजार 446 समितियों का गठन किया जा चुका है। दिसम्बर, 2002 तक 12 हजार 398 हैक्टेयर भूमि पर वृक्षारोपण एवं 93 लाख 67 हजार पौध वितरण की उपलब्धि अर्जित की गई है।

118. राज्य में राजस्व अर्जित करने वाले विभागों में खान विभाग का चौथा स्थान है। वर्तमान में राज्य में 44 प्रधान एवं 22 अप्रधान खनिजों का खनन किया जाता है। चालू वित्तीय वर्ष में 495 करोड़ रुपये के लक्ष्य के विरुद्ध 275.54 करोड़ रुपये का राजस्व दिसम्बर, 2002 तक प्राप्त हुआ है।

119. नये खनिज क्षेत्रों की खोज के अन्तर्गत जैसलमेर जिले में एस.एम.एस. एवं सीमेन्ट ग्रेड लाइमस्टोन, झुंझुनूं जिले में सीमेन्ट ग्रेड लाइमस्टोन व बीकानेर जिले में लिग्नाइट भण्डारों का आकलन, झालावाड़ जिले में फर्श के लिए लाइमस्टोन/कोटा स्टोन एवं उदयपुर जिले में कम सिलिका वाले डोलोमाइट की खोज उल्लेखनीय है। राज्य में मार्बल एवं ग्रेनाइट नीति, 2002 जारी होने के बाद राज्य में उपलब्ध सेण्डस्टोन/लाइमस्टोन के समुचित उपयोग एवं विकास हेतु सेण्डस्टोन पालिसी एवं लाइमस्टोन पालिसी तैयार की जा रही है, जिससे राज्य में सेण्डस्टोन आधारित प्रोसेसिंग यूनिट एवं सीमेन्ट ग्रेड आधारित सीमेन्ट प्लांट की और स्थापना हो सकेगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

120. आर.एस.एम.एम.एल. द्वारा नागौर जिले के कसनऊ–मातासुख क्षेत्र में शीघ्र ही लिग्नाइट का खनन कार्य आरम्भ करने की योजना है। झामरकोटड़ा क्षेत्र में स्थापित रॉक फास्फेट परिशोधन संयत्र की क्षमता 1500 टन से बढ़ाकर 3000 टन प्रति दिन करने की विस्तार परियोजना का कार्य अंतिम चरण

में है, जो मार्च, 2003 तक पूरे होने की सम्भावना है।

121. नया सहकारिता अधिनियम 14 नवम्बर, 2002 से लागू हो गया है। नये सहकारी अधिनियम के अनुसार सहकारी संस्थाओं के चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा करवाया जाना अपेक्षित है। राज्य में किसानों को सुगमता से सहकारी कर्जे उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान में किसान सहकारी कार्ड योजना शुरू की गई है। दिसम्बर, 2002 तक 16 लाख 73 हजार सहकारी किसान कार्ड वितरित किये जा चुके हैं।

122. वर्ष 2002-2003 में दिसम्बर तक 1 हजार 75 करोड़ रुपये के अल्पकालीन ऋण वितरित किये गये। इसी प्रकार प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक के माध्यम से 2002-2003 में दिसम्बर तक 131 करोड़ 83 हजार रुपये के दीर्घकालीन ऋण वितरित किये जा चुके हैं। वर्ष 2002-2003 में किसानों एवं ग्रामीण उपभोक्ताओं को विपणन सहकारी समिति के माध्यम से 952 करोड़ 98 हजार रुपये की कृषि उपज, कृषि आदान एवं उपभोक्ता सामग्री सुलभ कराई गई।

123. राज्य में एक लाख युवाओं को रोजगारोन्मुखी सहकारी समितियों से जोड़कर स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से गांवों और शहरी क्षेत्रों में इनोवेटिव कोआपरेटिव सहकारी समितियों का गठन किया जायेगा। घाटे में चल रही सहकारी संस्थाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए "संजीवनी योजना" नामक एक कार्य योजना तैयार की गई है ताकि इन संस्थाओं को नया जीवनदान दिया जा सके। राज्य के अकालग्रस्त क्षेत्रों में पशुपालकों को सूखे चारे की खरीद के लिए 100 करोड़ रुपये के सहकारी कर्जे उपलब्ध कराये जायेंगे।

124. श्रम विभाग द्वारा राज्य में औद्योगिक शांति बनाये रखने एवं औद्योगिक क्षेत्रों में कार्यरत कामगारों की सामाजिक सुरक्षा, कल्याण एवं शोषण मुक्त करने के लिए श्रम कानूनों का प्रभावी एवं सुनिश्चित प्रवर्तन किया जा रहा है।

125. श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा एवं हितलाभ दिलाने के लिए विभिन्न श्रम अधिनियमों के तहत चालू वित्तीय वर्ष के सितम्बर, 2002 तक 1027 दावों का निस्तारण कर

श्रमिकों को 6 करोड़ 33 लाख रुपये से अधिक राशि के अवार्ड पारित कर लाभान्वित किया गया।

126. राज्य में औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत दर्ज मामलों के निष्पादन की प्रक्रिया को और प्रभावी बनाया गया है, जिसके फलस्वरूप नवम्बर, 2002 तक 3907 शिकायतों में से 2080 शिकायतों का निराकरण किया गया। राज्य के अजमेर, अलवर, जयपुर, जोधपुर, टोंक एवं उदयपुर जिलों में जोखिमपूर्ण व्यवसायों से जुड़े बाल श्रमिकों के शिक्षा एवं पुनर्वास कार्यक्रम यथावत संचालित है, जिनमें 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के 9 हजार बाल श्रमिक लाभान्वित किये जा रहे हैं।

127. कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत सितम्बर, 2002 तक 10 लाख से अधिक बहिरंग एवं 5 हजार 292 अंतरंग रोगियों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

128. राज्य सरकार द्वारा राज्य में मुस्लिम वक्फ सम्पत्तियों के पुनः सर्वेक्षण कार्य हेतु राज्य स्तर पर सर्वे आयुक्त, वक्फ की नियुक्ति की गई है एवं जिला स्तर पर सभी अतिरिक्त कलक्टर-प्रशासन को अपर सर्वे आयुक्त नियुक्त किया गया है। जिलों में स्थित समस्त वक्फ सम्पदाओं का सर्वेक्षण कार्य उनकी देख-रेख में किया जा रहा है। सभी जिलों में वक्फ सम्पत्तियों का सर्वेक्षण कार्य पूर्ण होने की ओर अग्रसर है।

129. राज्य सरकार द्वारा जन समस्याओं का तेजी से निराकरण कर जनता को राहत पहुंचाई जा रही है। इस सम्बन्ध में सभी स्तरों पर पुख्ता व्यवस्था की गई है। जिला सतर्कता समितियों में इस वर्ष दर्ज 2 हजार 170 प्रकरणों में से सितम्बर, 2002 तक 1585 प्रकरणों का निस्तारण किया गया।

130. राज्य सरकार द्वारा राज्य के सशस्त्र एवं पैरा मिलिटरी बलों के सदस्यों के देश की सुरक्षा कार्रवाइयों और आतंकवादियों के विरुद्ध प्रतिरक्षा करते हुए शहीद होने पर या स्थायी रूप से अशक्त हो जाने पर उनके आश्रित को सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले वेतनमान संख्या-9 तक के पदों की रिक्तियों के विरुद्ध अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति देने के प्रावधानों को संशोधित किया गया है। संशोधन के फलस्वरूप अब सीधी भर्ती के वेतनमान

संख्या-9ए से 11 तक के पदों पर नियुक्ति की जा सकेगी।

131. करगिल युद्ध के दौरान शहीद सैनिकों और अधिकारियों के आश्रित परिवारों का करगिल पैकेज के अन्तर्गत वित्त विभाग द्वारा राजस्थान आवासन मण्डल से एम.आई.जी. के फ्लेट और आवास के आबंटन के दस्तावेजों पर देय मुद्रांक एवं पंजीयक शुल्क से छूट प्रदान की गयी है। करगिल संघर्ष के दौरान सैनिकों एवं अर्द्ध सैनिक बलों के वीरगति प्राप्त सैनिकों की पत्नियों, पुत्र-पुत्रियों और माता-पिता के नाम कृषि कनेक्शन हेतु पात्र व्यक्तियों को कृषि कनेक्शन देने के निर्देश प्रदान किये गये हैं।

132. युद्ध विधवाओं एवं उनके आश्रितों के लिये जयपुर में विद्याधर नगर में जयपुर विकास प्राधिकरण ने निःशुल्क भू-खण्ड आबंटन किया है। इस भू-खण्ड पर वार विडोज हॉस्टल के निर्माण हेतु सेना मुख्यालय से 1.5 करोड़ रुपये स्वीकृत कराये गये हैं।

133. राज्य में खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने, खेल वातावरण तैयार करने, आधारभूत खेल सुविधाओं को विकसित करने तथा युवाओं में राष्ट्रीय एकता एवं सद्भाव के विकास के लिए राज्य सरकार प्रयत्नशील हैं। राज्य में युवा बोर्ड का गठन कर दिया गया है। केरल में 12 से 16 जनवरी, 2003 तक आयोजित 8वें राष्ट्रीय युवा समारोह में राज्य के 87 सदस्यीय दल ने भाग लिया तथा शास्त्रीय विधा कत्थक में दूसरा एवं लोकगीत प्रतियोगिता में तृतीय स्थान प्राप्त किया।

134. चालू वित्तीय वर्ष के दिसम्बर तक 47 राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं, 39 खेल प्रशिक्षण शिविर एवं 63 राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं के लिए 32 लाख रुपये खर्च किये गये। राज्य के खिलाड़ियों ने इस वर्ष विभिन्न खेलों में 18 स्वर्ण, 23 रजत और 27 कांस्य पदक जीत कर प्रदेश को गौरवान्वित किया है।

135. राज्य सरकार ने जून, 2002 में विशेष भू-आबंटन एवं नियमन अभियान चलाकर 56 हजार 959 परिवारों को 75 हजार 280 एकड़ भूमि निःशुल्क आबंटित तथा नियमित की। इसमें से अनुसूचित जाति के 7 हजार 716 परिवारों को 9 हजार 356 एकड़ भूमि तथा अनुसूचित जनजाति के 22 हजार 247 परिवारों को 23 हजार 509 एकड़ भूमि आबंटित और नियमित की गई।

136. उपनिवेशन क्षेत्रों में 1867 आबंटियों को 10 हजार 484 हैक्टेयर भूमि आबंटित की गई है, जिसमें से 106 अनुसूचित जाति और जनजाति के आबंटियों को 501 हैक्टेयर भूमि आबंटित की गई है। ओड एवं बाजीगर परिवारों की भूमि आबंटन की लम्बे समय से मांग चली आ रही थी। राज्य सरकार द्वारा इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के द्वितीय चरण क्षेत्र के जैसलमेर जिले में इनके लिये 1200 मुरब्बे आरक्षित कर दिये गये हैं। उपनिवेशन क्षेत्र में भूमि आबंटन हेतु आवेदन करने के लिए पत्नी व पति दोनों के संयुक्त रूप से आवेदन करने को अनिवार्य किया गया है।

137. राज्य में सूखे की स्थिति को ध्यान में रखते हुए सिंचित एवं असिंचित क्षेत्रों में 30 सितम्बर, 2003 तक भू-राजस्व वसूली स्थगित कर दी गई है। राज्य के राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 तथा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 को पूरी तरह से नया बनाया जाकर विधान सभा के इसी सत्र में राजस्थान अभिधृति विधेयक, 2003 एवं राजस्थान भू-राजस्व विधेयक, 2003 के रूप में पेश किया जा रहा है। इनमें अनावश्यक प्रावधानों को हटाकर महत्वपूर्ण नये प्रावधान जोड़े गये हैं तथा संशोधन भी किये गये हैं। राजस्व अधिकारियों को कार्यों को तत्परता से निपटाने हेतु महत्वपूर्ण धाराओं की अधिसूचनाओं का एक संकलन जारी किया गया है।

138. साम्प्रदायिक और धार्मिक उन्माद फैलाने वाली ताकतें सक्रिय होती नजर आती हैं। राज्य सरकार ऐसी ताकतों को नाकाम करने को दृढ़ प्रतिज्ञ है। मुझे खुशी है कि गत चार वर्षों के दौरान प्रदेश में आम तौर पर साम्प्रदायिक सद्भाव, भाईचारा और सौहार्द बना रहा है। सरकार का संकल्प है कि हर हालत में सद्भाव और भाईचारा कायम रखा जाये।

139. राज्य सरकार राज्य में शांति और कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए कृत संकल्प है। असामाजिक तत्वों, अपराधियों एवं साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले लोगों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। राज्य पुलिस की सजगता एवं सतर्कता के फलस्वरूप इस वर्ष आतंकवाद की कोई घटना नहीं हुई एवं मादक व विस्फोटक पदार्थों की तस्करी तथा बार्डर

क्रोसिंग में कमी आई है। अवैध रूप से सीमा का उल्लंघन करने पर 7 पाक नागरिक, 34 बांग्लादेशी, 7 भारतीय नागरिकों को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा 30.2 किलोग्राम विस्फोटक पदार्थ व हथियार आदि सामान जब्त किया गया।

140. पुलिस आधुनिकीकरण योजना के तहत केन्द्र सरकार ने कुल 74 करोड़ 29 लाख 43 हजार रुपये के व्यय की स्वीकृति जारी की है। इस राशि से उपकरण, पुलिस थानों के निर्माण, पुलिस कंट्रोल रूम आदि के कार्यों की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

141. अपराधों की रोकथाम एवं अभियोगों में सफलता प्राप्त करने के लिए राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों में जन समस्या समाधान शिविर शुरू किये गये हैं, जिनके सुखद परिणाम निकले हैं। राज्य के बड़े नगरों में शुरू की गई टोल फ्री टेलीफोन सेवा "क्राइम पुलिस हैल्प लाइन" के माध्यम से अपराधियों के बारे में गुप्त सूचनाओं पर त्वरित पुलिस कार्रवाई की जा रही है।

142. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने वर्ष 2002 में भ्रष्ट लोकसेवकों के विरुद्ध आय से अधिक सम्पति अर्जित करने, रिश्वत लेने एवं पद के दुरुपयोग करने के 411 अभियोग दर्ज किये। इस वर्ष 607 अभियोगों का निस्तारण किया गया। वर्ष 1957 से अपनी स्थापना के बाद ब्यूरो का यह सबसे अच्छा प्रदर्शन है। गत चार वर्षों में कुल 1718 मुकदमों का निस्तारण किया गया। ब्यूरो द्वारा चार वर्षों में विभिन्न न्यायालयों में 811 प्रकरणों में चालान प्रस्तुत किये गये।

143. अभियोजन विभाग ने वर्ष 2002 में नवम्बर तक प्रदेश में स्थित अधीनस्थ न्यायालयों में समस्त अपराध वर्गों में दर्ज प्रकरणों में से एक लाख 62 हजार 519 प्रकरणों का निस्तारण करवाया। निस्तारित मामलों में लगभग 90 हजार प्रकरणों में अभियुक्तों को सजा मिली।

144. विधि एवं विधिक कार्य विभाग द्वारा इस वर्ष 43 फास्ट ट्रेक न्यायालयों की स्थापना की गई। विभाग द्वारा राजस्थान न्यायिक सेवा के 95 नये पदों पर नियुक्तियां की गई। जनता को राहत देने के लिए 42 पब्लिक नोटेरी नियुक्त किये गये।

145. राष्ट्रीय कैडेट कोर देश की द्वितीय रक्षा पंक्ति के लिये राष्ट्र की युवा शक्ति को तैयार करने का एक

सशक्त माध्यम है। वर्तमान में 4 ग्रुप मुख्यालय एवं 35 एन.सी.सी. इकाइयों के माध्यम से एन.सी.सी. संगठन प्रगति के पथ पर अग्रसर है। दसवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में एक नई एन.सी.सी. नेवल यूनिट जयपुर में स्थापित की जा रही है। प्रतिवर्ष 25 लाख रुपये का व्यय स्वीकृत किया गया है।

146. राज्य मानवाधिकार आयोग ने अपनी स्थापना की अल्पावधि में न केवल संस्थागत रूप से अपनी पहचान बनाई है बल्कि प्रदेश में मानवाधिकारों के उल्लंघन को रोकने व प्रभावी संरक्षण के लिए उल्लेखनीय सफलता भी प्राप्त की है। वर्ष 2002-2003 के दौरान आयोग के समक्ष कुल 2823 प्रकरण प्रस्तुत किये गये, इनमें से 2140 प्रकरणों का निस्तारण किया जा चुका है।

147. आयोग के मानवाधिकारों के संरक्षण के लिये राज्य सरकार द्वारा संचालित संस्थाओं का गहन निरीक्षण किया है। अब तक 25 जिला एवं उप कारागारों, 94 पुलिस थानों सहित विभिन्न जिलों में संचालित समाज कल्याण छात्रावासों एवं अस्पतालों का निरीक्षण कर निरीक्षण प्रतिवेदन राज्य सरकार व सम्बन्धित विभागों को सुधारात्मक व उपचारात्मक कार्यवाही के लिए भेजे गये हैं।

148. योजना आयोग द्वारा राज्य की दसवीं पंचवर्षीय योजना 2002-2007 का आकार चालू मूल्यों पर 31 हजार 831.75 करोड़ रुपये तथा स्थिर मूल्य 2001-2002 पर 27 हजार 318 करोड़ रुपये अनुमोदित किया गया है। दसवीं योजना में सर्वाधिक प्राथमिकता सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं को दी गई है, जिसमें मुख्य रूप से शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, जल प्रदाय, नगरीय विकास एवं आवास, समाज कल्याण, पोषाहार, अनुसूचित जाति, जनजातियों का कल्याण आदि शामिल हैं।

149. बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2001-2002 में समीक्षा के 13 सूत्रों में से 12 सूत्रों में राज्य ने 90 प्रतिशत से अधिक उपलब्धि अर्जित की एवं राज्य को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ।

150. राजस्थान फाउण्डेशन के माध्यम से कोयम्बटूर एवं चेन्नई में सफल राजस्थानी मेलों का आयोजन किया गया। इन दोनों स्थानों पर राजस्थान फाउण्डेशन के चैप्टर्स गठित किये गये। सूरत, कोलकाता, हैदराबाद, अहमदाबाद, दिल्ली एवं मुम्बई में चैप्टर्स का गठन शीघ्र किया जा रहा है। चैप्टर्स के गठन से ऐसा

नेटवर्क स्थापित हो सकेगा, जिससे सम्बन्धों को नये आयाम एवं मजबूती मिलेगी।

151. राज्य के आर्थिक विकास में अल्प बचत योजनाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। वित्तीय वर्ष 2001-2002 में अल्प बचत शुद्ध संग्रहण लक्ष्य 3200 करोड़ रुपये के विरुद्ध 3474.93 करोड़ रुपये की उपलब्धि अर्जित की गई जो लक्ष्य का 108.59 प्रतिशत थी। चालू वित्तीय वर्ष 2002-2003 के लिए अल्प बचत शुद्ध संग्रहण का लक्ष्य 3400 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है, जिसके विरुद्ध दिसम्बर, 2002 तक 2209.16 करोड़ रुपये की उपलब्धि प्राप्त कर ली गई है, जो निर्धारित लक्ष्य का 64.98 प्रतिशत है।

152. देश ही नहीं अन्तरराष्ट्रीय परिदृश्य तेजी से बदल रहा है। एक तरफ आतंकवाद की चुनौती है, साथ ही देश में उपज रहे धार्मिक कट्टरवाद ने हमारी चिंताएं बढ़ाई है। दूसरी ओर आर्थिक उदारीकरण का माहौल सम्पूर्ण आर्थिक सामाजिक व्यवस्था को प्रभावित कर रहा है। निजीकरण की प्रक्रिया और समान कर प्रणाली से उद्योग, व्यापार यहां तक जनजीवन भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता।

153. हमारी चिन्ता है, राज्य को शिक्षित, समर्थ और सम्पन्न बनाने की। राजस्थान का त्वरित विकास हमारा संकल्प है। धार्मिक और साम्प्रदायिक सद्भाव को अक्षुण्ण बनायें रखने का दायित्व हमें निभाना है। आइये हम इन चुनौतियों को अवसर में बदले। इस काम में सरकार के साथ चिंतक, किसान, उद्यमी, श्रमिक, राजनीतिक-सामाजिक कार्यकर्ता और राज्यकर्मी पूरी निष्ठा एवं समर्पण के साथ आगे आये और प्रदेश को अकाल की विभीषिका से बाहर निकाल कर विकास के नये दौर में ले जायें।

154. माननीय सदस्यगण, इस सत्र में निम्न विधेयक आपके समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किये जायेंगे :

1. राजस्थान विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, 2003
2. राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी (नियुक्ति के लिये चयन) (संशोधन) विधेयक, 2003
3. राजस्थान अभिधृति विधेयक, 2003
4. राजस्थान मूल्य परिवर्धित विक्रय कर विधेयक, 2003 (वेट बिल)

155. इसके अतिरिक्त निम्न वित्तीय कार्य भी किये जायेंगे :

1. वर्ष 2003-2004 के लिये आय-व्ययक अनुमान एवं तत्सम्बन्धी मांगें।
2. वर्ष 2002-2003 के लिये अनुपूरक अनुदान मांगें।
3. भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक से प्राप्त वर्ष 2001-2002 के लिये विनियोग एवं वित्त लेखे।
4. भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन वर्ष 2001-2002 के लिये (राजस्व प्राप्तियां/वाणिज्यिक/सिविल)।

156. हम सब राज्य की जनता के अभ्युदय और उत्थान के लिए निरन्तर प्रयासरत हैं। हमारे ये प्रयास भरपूर सफलता प्राप्त करें तथा राज्य की खुशहाली में निरन्तर अभिवृद्धि हो।

ये ग्रामा यदरण्यं या सभा अधिभूम्याम।
ये संग्रामा: समितयस्तेषु चारू वदेम ते॥

"हम गांव, अरण्य या कहीं भी मिलें, समस्याओं में इकट्ठे हों या समारोहों में, आपसी मतभेदों को मिटाने के लिये वाद-विवाद करें या समितियों में विचार-विमर्श करें– हे मातृभूमि, हमें यही आशीर्वाद दो कि हम सर्वदा वही बात बोलें जो अन्तत: तुम्हारे लिये हितकर हो।"

यही हमारी कामना है।

जयहिन्द।